

फोन नं.- +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,

website: www.esb.mp.gov.in, E-Complain Id : Complaint.esb@mp.gov.in

वन विभाग के अन्तर्गत वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक (कार्यपालिक)

एवं

जेल विभाग के अन्तर्गत जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक (कार्यपालिक) पदों की सीधी भर्ती

परीक्षा-2026

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र		
आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि : 28.02.2026		आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि : 14.03.2026
आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 28.02.2026		आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 19.03.2026
परीक्षा दिनांक व दिन		07.04.2026 से प्रारम्भ
परीक्षा शुल्क		
सीधी भर्ती के पदों हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रु. 500/- प्रति प्रश्न पत्र
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	रु. 250/- प्रति प्रश्न पत्र
सीधी भर्ती - बैकलॉग		कोई शुल्क नहीं
ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रुपये 60/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रस्टिड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रु. देय होगा ।		

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित का समय
07.04.2026 से प्रारम्भ	प्रथम	प्रातः 8:00 से 9:00 बजे तक	09:50 से 10:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:00 से 12:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 01:00 से 02:00 बजे तक	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

- अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है ।
- मण्डलद्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित(Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा । मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई-आधार कार्ड / आधार कार्ड की छायाप्रति/ आधार नंबर / आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य हैं ।
- परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है । अतः जिन अभ्यर्थियों का आधार नम्बर लॉक है वह परीक्षा दिनांक को परीक्षा केन्द्र पर उपस्थिति के पूर्व आधार अनलॉक करवाना सुनिश्चित करें।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
- परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।

7. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
8. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है
9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी ।
10. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है । अतः कम्प्यूटर आधारित online परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) (पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगी ।
11. उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।
12. मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को वनरक्षक एवं क्षेत्र रक्षक (कार्यपालिक) पदों के लिये अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुये हार्डकॉपी में निर्धारित (नियम पुस्तिका के प्रारूप-2 में) आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि तक मण्डल को न भेजते हुये सीधे संबंधित विभाग को पृथक-पृथक प्रेषित करना होगा । मण्डल को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा ।
13. जेल विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जनजाति, (बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया) के अभ्यर्थियों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन करें। (ऐसी स्थिति में नियम पुस्तिका की बैगा,सहारिया एवं भारिया से संबंधित सभी कण्डिकायें विलोपित मान्य होगी ।)

फोन नं.- +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,

website: www.esb.mp.gov.in, E-Complain Id : Complaint.esb@mp.gov.in

**वन विभाग के अन्तर्गत वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक (कार्यपालिक)
एवं**

**जेल विभाग के अन्तर्गत जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक (कार्यपालिक) पदों की सीधी भर्ती
परीक्षा-2026**

आयोजन के नियम एवं निर्देश

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1 (अ)	वन रक्षक (कार्यपालिक) पदों की सीधी भर्ती परीक्षा-2026 के नियम एवं निर्देश	03-19
	1 (ब)	क्षेत्र रक्षक (कार्यपालिक) पदों की सीधी भर्ती परीक्षा-2026 के नियम एवं निर्देश	20-34
2.	2 (अ)	मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के अन्तर्गत जेल प्रहरी (कार्यपालिक) पदों की सीधी भर्ती परीक्षा-2026 के नियम एवं निर्देश	35-46
	2 (ब)	मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के अंतर्गत सहायक जेल अधीक्षक के सीधी भर्ती भर्ती परीक्षा-2026 के नियम एवं निर्देश	47-58
5	3 (अ,ब,स)	कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल, म.प्र. की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	59-74
6	4 (अ)	परीक्षा का पाठ्यक्रम	75
7	प्रारूप-1	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	76
8	प्रारूप-2	मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे:-बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र	77
9	प्रारूप-3	होमगार्ड स्वयं सेवी नगर सैनिक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप	78

अध्याय - 1 (अ)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन विभाग, मध्यप्रदेश,
वन भवन, भोपाल के अंतर्गत वनरक्षक चयन परीक्षा- 2026

1.1 सामान्य:-

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, वन भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक/प्रशा.॥क्षे.स्था.-2/व.र. भर्ती/2025/6706, भोपाल, दिनांक 23.12.2025, अनुसार वन विभाग के अंतर्गत कुल रिक्त 728 वनरक्षकों के पदों पर भर्ती परीक्षा-2026 हेतु आवेदन कर रहे सभी आवेदकों पर यह निर्देश लागू होंगे। उल्लेखित रिक्त पदों की संख्या में जिले के रोस्टर अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

1.2 परिभाषाएँ:-

(अ) इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) से होगा।

(ब) "आरक्षण" से अभिप्रेत है सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) एवं संविदा पर नियुक्त (कार्यरत) अधिकारी/कर्मचारियों के लिए पदों का आरक्षण।

"अन्य पिछड़े वर्गों" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85/पच्चीस/484 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग।

"उभयलिंगी" से अभिप्रेत है सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्रमांक सी-3-02/2022/3/1 भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 के अनुसार परिभाषित उभयलिंगी होने का प्रमाण पत्र जैसा कि जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उल्लेखित है। यदि प्रमाण पत्र में पुरुष का उल्लेख किया गया है तब पुरुष उम्मीदवार के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे और यदि महिला का उल्लेख किया गया है तब महिला उम्मीदवार के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

"अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

"अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

"आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)" मध्यप्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) जो, संविधान के अनुच्छेद-341 एवं 342 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है। (म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 02 जुलाई 2019)

"संविदा पर नियुक्त (कार्यरत) अधिकारी/कर्मचारियों" से आशय है वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी। (म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 दिनांक 05 जून 2018 एवं म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 (पार्ट फाईल) दिनांक 18-10-2022 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22.07.2023)

(स) "भर्ती का वर्ष" से अभिप्रेत है चालू वर्ष की पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की कालावधि, जिसके भीतर सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है।

(द) “मण्डल” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल।

(य) “विभाग” से अभिप्रेत है म.प्र. शासन, वन विभाग।

1.3 पदनाम, वेतनमान तथा शैक्षणिक योग्यता:-

पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता
वनरक्षक कुल पद-728	19500-62000	मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेण्डरी अथवा 10+2 पद्धति से दशवीं कक्षा उत्तीर्ण (हाईस्कूल)।

1.3.1 आरक्षण तालिका:-

स. क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक	संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी	योग	रिमार्क
		ओपन	-	-	-	-	
1	अनारक्षित (UR)	185	24	90	11	310	कुल रिक्ति 728 पद का 01 प्रतिशत अर्थात् 07 पद राष्ट्रीय/ अन्तराष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाड़ियों (खेलों के नाम- तैराकी, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स (दौड़, उंची कूद, लम्बी कूद, गोला फेंक, भाला फेंक एवं तवा फेंक) के लिये आरक्षित हैं। जिस श्रेणी का खिलाड़ी इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	84	12	42	05	143	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	117	18	57	06	198	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	48	04	23	02	77	
	योग	434	58	212	24	728	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका

सक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक	संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी	योग
		ओपन	-	-	-	-
1	अनारक्षित (UR)	185	24	90	11	310
2	अनुसूचित जाति (SC)	0	0	0	0	0
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	84	12	42	05	143
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	71	14	36	04	125
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	48	04	23	02	77
	योग	388	54	191	22	655

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका

स. क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक	संविदा पर कार्यरत अधिकारी/	योग
		ओपन	-	-	-	-
1	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रावधिक	46	4	21	2	73
2	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	46	4	21	2	73

टीप-

- (1) जिलेवार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले वनरक्षकों पदों की जानकारी परिशिष्ट-1 में देखें। जिलेवार दर्शित वनरक्षक के पदों की संख्या, जिसमें भर्ती प्रस्तावित है, अनुमानित है। भर्ती के समय संबंधित जिले के रोस्टर अनुसार तत्समय उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती की जा सकेगी।
- (2) वनरक्षक फील्ड का पद होने के कारण विकलांगों को भर्ती में शामिल करने का प्रावधान नहीं रखा गया है। म.प्र. शासन सामाजिक न्याय विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-3-18-2019-26-1 दिनांक 20 दिसम्बर 2019 द्वारा वनरक्षक के पदों पर निःशक्तजनों की नियुक्ति से छूट प्रदान की गई है।
- (3) म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र.सी-3-8-2015-एक-3 दिनांक 17.11.15 द्वारा महिलाओं की भर्ती में छूट प्रदान की गई है, अतः महिलाओं हेतु पृथक से पद आरक्षित नहीं रखे गये हैं। मैरिट में चयनित होने पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।
- (4) म.प्र. राजपत्र (असाधारण) द्वारा म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-03-47-2008/10-1 दिनांक 12 नवंबर 2025 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत वनरक्षक के पद पर भर्ती हेतु होमगार्ड स्वयं सेवा सैनिकों हेतु आरक्षित 30 प्रतिशत एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित 10 प्रतिशत पदों पर हारिजन्टल आरक्षण लागू होगा, परन्तु पर्याप्त संख्या में होमगार्ड/भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों की उपलब्धता न होने पर, शेष पदों को रोस्टर अनुसार उसी प्रवर्ग के गैर होमगार्ड/गैर भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से भरा जावेगा।
- (5) म.प्र. राजपत्र (असाधारण) द्वारा म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-03-47-2008/10-1 दिनांक 12 नवंबर 2025 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विभाग में सीधी भर्ती के नियमित पदों के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के 50 प्रतिशत तक के पद, दोनों में से जो भी कम हो, संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इस नियम के अधीन आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेने और नियुक्ति प्राप्त कर ले (कार्यभार ग्रहण करने) के पश्चात वह अभ्यर्थी पुनः लाभ का पात्र नहीं होगा। यदि उक्त श्रेणी के पात्र कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं तो वह पद उसी वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों में से भरा जाएगा।
वन विभाग में संविदा कुल स्वीकृत/कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों कुल संख्या 48 के 50 प्रतिशत पदों अर्थात् 24 पदों पर संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये आरक्षित रखे गये हैं।
- (6) म.प्र. राजपत्र (असाधारण) द्वारा म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-03-47-2008/10-1 दिनांक 12 नवंबर 2025 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत वनरक्षक कुल रिक्तियों का 01 प्रतिशत पद राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे। उक्त श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी ना मिलने पर उसी वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों से पद भरा जाएगा"।

1.3.2 आरक्षण से संबंधित स्पष्टीकरण:-

1. आरक्षित वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के सत्यापन/परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
2. भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के सत्यापन/परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
3. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 7-22/2019/आ.प्र./एक दिनांक 30.05.2019 अनुसार आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध:- यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की **सहारिया/सहरिया** आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनुपपूर की **बैगा** आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाड़ा एवं सिवनी की **भारिया** जनजाति का है, वनरक्षक (कार्यपालक) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित की गई **न्यूनतम अर्हता** रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा ‘ ‘

मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरुद्ध अपने आवेदन पत्र (**संलग्न प्रारूप 02 अनुसार**), आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु जिले के नोडल वनमण्डल अधिकारी को प्रेषित करेंगे। (**पते की सूची संलग्न है**)

परीक्षा की तिथि के पूर्व इस प्रकार प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त नियुक्ति संबंधी कार्यवाही वन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। यदि पदों की संख्या में कोई परिवर्तन होता है तो अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पदों की संख्या बावत् एक संक्षिप्त संशोधित विज्ञापन जारी किया जायेगा। इसके पश्चात् अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों तथा अन्य श्रेणियों के पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित कराया जाना प्रस्तावित होगा। इस प्रकार जारी विज्ञापन में अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या परिवर्तनीय होगी जो विशेष आदिम जनजाति (पीटीजी) समुदायों के अतिरिक्त अन्य अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त शेष रिक्तियों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये मध्यप्रदेश शासन के आरक्षण नियमानुसार परीक्षा परिणाम जारी किया जायेगा ।

होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण का प्रारूप संलग्न 03 अनुसार है।

1.4 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में:-

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार

(क) भारत का नागरिक हो।

(ख) नेपाल का नागरिक हो सकता है।

(ग) यदि (ख) हो तो म.प्र. सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के लागू नियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है।

नोट:- किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा म.प्र.सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के अनुसार उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

(II) अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र तहसीलदार/नायब तहसीलदार स्तर से नीचे का न हो उक्त प्रमाण-पत्र परीक्षण/सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

III½ ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।

IV½ अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन उनके जारी किये जाने वाली संस्था/विद्यालय से कराया जायेगा, जिस पर होने वाला व्यय अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

V½ यदि किसी अभ्यर्थी का कोई भी प्रमाण पत्र कूटरचित पाया जाता है या कोई गलत जानकारी दी जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी को बिना किसी पूर्व सूचना के सेवामुक्त किया जायेगा एवं अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जायेगा।

1.5 आवेदकों के लिए आयु सीमा:-

चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक पूर्व जनवरी के प्रथम दिन को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। अर्थात् अभ्यर्थी की आयु की गणना 01 जनवरी 2026 से निर्धारित की जावेगी।

म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सी. 3-14/2019/ एक/3 दिनांक 19.12.2019 अनुसार आयु सीमा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही उपलब्ध होगी। इस चयन परीक्षा के लिये मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होनी चाहिये:-

स0क्र0	भर्ती का तरीका	न्यूनतम आयुसीमा	अधिकतम आयु सीमा
01	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के आवेदकों हेतु।	18 वर्ष	33 वर्ष
02	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) पुरुष/महिला आवेदक (अनु0जाति/अनु0जजा/अन्य पिछडा वर्ग)/ शासकीय सेवकों/ निगम/ मंडल/ स्वायत्तशासी संस्थायें/नगर सैनिक)	18 वर्ष	38 वर्ष (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट सहित)

नोट:- (1) सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन आवेदन दिनांक को होना अनिवार्य होगा।

(2) अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध उपरोक्त सभी प्रकार की छूटें मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही उपलब्ध होंगी। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को उपरोक्त छूटें अथवा आरक्षण प्राप्त नहीं होगा तथा अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में ही शामिल होने की पात्रता होगी।

किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को तदाशय का निर्धारण प्रारूप के प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय पेश करना होगा। जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा।

1.5.1 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें:-

- (अ) आदिम जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत उच्च जाति के पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ब) "विक्रम पुरस्कार" प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

1.5.2 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण:-

- (1) उपरोक्त रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।
- (2) ऐसे अभ्यर्थी को जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं के कारण हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु उसके परिणामस्वरूप प्राप्त आयु उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

स्पष्टीकरण: शब्द "छटनी किया गया शासकीय सेवक" ऐसे व्यक्ति का द्योतक है, जो इस राज्य की या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम 6 मास की कालावधि तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

- (3) भूतपूर्व सैनिक हेतु आयु सीमा-आयु सीमा के संबंध में विशेष उपबन्ध-राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में किसी रिक्त स्थान पर चाहे वह इन नियमों के अधीन आरक्षित हो या अनारक्षित हो, नियुक्ति के लिए प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को, जो संघ के सशस्त्र बलों में लगातार कम से कम छः मास तक सेवा में रहा हो, उसकी वास्तविक आयु में से ऐसी सेवा की कालावधि घटाने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा यदि इसके परिणामस्वरूप आयु उस पद या सेवा के लिये, जिसके लिये वह नियुक्ति चाहता है, विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह आयु-सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है।

स्पष्टीकरण - "भूतपूर्व सैनिकों" से अभिप्रेत, ऐसा व्यक्ति जिसने संघ सशस्त्र बलों में भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित है, किसी भी रैंक (लड़ाकू या गैर लड़ाकू) में सेवा की हो और-

- (एक) जिसे 1 जुलाई 1968 से पूर्व अवचार या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवान्मुक्त किया गया हो।
- (दो) प्रमाणीकरण के पश्चात लगातार छह मास से अन्यून की कालावधि के लिए और अवचार या अदक्षता के कारण 1 जुलाई 1968 को या उसके पश्चात किन्तु 30 जून 1979 के पूर्व पदच्युत या सेवान्मुक्त किया गया हो।
- (तीन) जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के सशस्त्र बल सम्मिलित है किन्तु असम राइफल्स, डिफेंस सिक्योरिटी, कार्पस, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, लोक सहायक सेना एवं टेरीटोरियल आर्मी को छोड़कर जिसने प्रमाणीकरण के पश्चात छह मास से अन्यून की कालावधि के लिये सेवाएं दी हो और जो 1 जुलाई 1979 को या उसके पश्चात किन्तु 1 जुलाई 1987 के पूर्व अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा निर्मुक्त किया गया हो और कोई व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण की हो तथा जिसे भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपने स्वयं के अनुरोध पर निर्मुक्त किया गया हो।

"जो भूतपूर्व सैनिक कदाचार या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवान्मुक्त किया गया हो वह भूतपूर्व सैनिक होने के लिये स्थायी रूप से निहर्हित होगा" '

(4) संविदा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संविदा सेवक पात्र होंगे, अर्थात :-

(एक) आवेदक विभाग में नियमित भर्ती के रिक्त पद के समकक्ष संविदा पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि के लिए संविदा आधार पर निरंतर नियोजित रहा हो। संविदा पद से नियमित पद की समतुल्यता का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन करने की दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। उसे इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा यह प्रमाण पत्र, यथास्थिति जिला अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

(दो) यदि किसी संविदा कर्मचारी/अधिकारी ने एक ही संविदा पद पर कार्य न करते हुए विभिन्न संविदा पदों पर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के नियमित पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने में समर्थ होगा, जो राज्य शासन द्वारा नियमित पद के समतुल्यता निर्धारण के पश्चात 05 वर्ष की अवधि में निम्नतम श्रेणी का रहा हो

(तीन) यदि किसी संविदा कर्मचारी/अधिकारी को संविदा सेवा से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्त किया गया हो तो 05 वर्ष की अवधि की गणना, सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी।

(चार) किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्त कर्मचारी/अधिकारी जो नियमित पद हेतु समकक्षता एवं अर्हता रखता हो, वन विभाग द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा।

(पांच) नियमित नियुक्ति की दशा में, संविदा कर्मचारी/अधिकारी को पूर्व की संविदा सेवाओं का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(छह) संविदा कर्मचारी/अधिकारी के लिए आरक्षित किए गए नियमित पदों पर चयन, भर्ती की पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, इस प्रयोजन हेतु नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम कट आफ अंक नियत किये जा सकेंगे।

(सात) यदि संविदा कर्मचारी/अधिकारी एक अथवा एक से अधिक प्रकार के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो तो ऐसी स्थिति में, संविदा पद के जिस समकक्ष नियमित पद पर वह नियुक्ति हेतु आवेदन करता है, उसके बराबर या उच्चतर संविदा पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा, उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी। आयु संबंधी समस्त छूटों को सम्मिलित करते हुए संविदा अधिकारी की अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(आठ) वे पद जो संविदा कर्मचारी/अधिकारी के लिए समकक्ष नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षित हैं वे केवल उस स्थिति में अन्य अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे, जिन पदों को भरे जाने के लिए विहित पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के पालन उपरांत पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मचारी/अधिकारी अंतिम रूप से चयनित अथवा अर्हित नहीं हो पाते हैं। संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये आरक्षित पद रिक्त रहने की दशा में कैरी फारवर्ड नहीं किये जाएंगे।

(नौ) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

टिप्पणी

- (1) शासन के मानदेय पर या अन्य स्वयं सेवियों या कर्मियों तथा "शिक्षा कर्मी" ' ' "पंचायत कर्मी" आदि को आयु में छूट सुविधा प्राप्त नहीं होगी।
- (2) जो अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रमाण-पत्र, परीक्षण/सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
- (3) यदि कोई आवेदक निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा।

1.5.3 शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता-

- (1) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/प्रशा.।।/क्षे.स्था.2/788 भोपाल दिनांक 25.02.2026 के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल दिनांक 22 फरवरी, 2022 के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 14/04/1972 एवं मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल दिनांक 06 अप्रैल , 2023 के निर्देश के विभिन्न वर्गों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्रम एवं इनके साथ ही ज्ञाप क्रमांक 172/2184/1/3/दिनांक 27 फरवरी, 1982 के द्वारा जनगणना 1981 अतिशेष एवं ज्ञाप क्रमांक एफ सी-3-31-90-49-3 दिनांक 19 सितंबर, 1990 निर्वाचन अतिशेष कर्मचारियों की प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

1	हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को	ए-2
2	भूतपूर्व सैनिकों (Demobilised Defence forces personal-Ex Servicemen-other ranks) को	ए-3
3	निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी	बी
4	अतिशेष कर्मचारियों को	बी
5	जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी	बी-1
6	कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को	बी-2
7	राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC) के उम्मीदवारों का जिनके पास "सी" प्रमाण पत्र	सी-1
8	वर्मा एवं सिलोन से आये हुए भारतीय नागरिकों को	सी-2

- (2) कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गों की सूची में राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्यरत सेक्शन राईटर्स को सम्मिलित किया जाता है।
- (3) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के असाधारण राजपत्र क्रमांक सी.सी. 3-10/2013/1/3 दिनांक 04 अक्टूबर 2013 से राज्य शासन अंतर्गत स्वीकृत सभी कनिष्ठ पदों पर चयन म.प्र.कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम 2013 के अंतर्गत मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाना नियत किया गया है।
- (4) कंडिका 2 में उल्लेखित परीक्षा की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता दिए जाने के विषय में अब राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि -
 - (अ) कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु-सीमा 55 वर्ष निर्धारित की जाती है।
 - (ब) कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्रातांक में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक प्रदान किए जायेंगे।

1.6 अभ्यर्थिता/चयन के संबंध में निर्हताएं/जानकारी:

1. पररूपधारण।
2. पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, ऐसे मामलों में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
3. जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या इसके पश्चात हुआ है। परन्तु निरर्हित नहीं होगा कि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतानों का जन्म होता है।
4. जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोषी ठहराया गया हो तथा पुलिस वैरिफिकेशन में शासकीय सेवा के लिए अपात्र पाये जाने की स्थिति में।

1.7 चयन प्रक्रिया के चरण/आधार:

- (1) वनरक्षकों के पदों पर चयन हेतु मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा लिखित परीक्षा तथा मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा शारीरिक क्षमता परीक्षण लिया जायेगा। लिखित परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 33% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 23% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। उक्त निर्देश संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों पर भी श्रेणीवार लागू होंगे।
- म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. सी-3-8/2016/1/3 दिनांक 22.9.2022 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 10% की छूट प्रदान की जायेगी, किन्तु उम्मीदवारों का चयन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये बनाई गई चयन सूची में से मेरिट के आधार पर ही किया जावेगा।

- (2) म.प्र. राजपत्र (असाधारण) द्वारा म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-03-47-2008/10-1 दिनांक 12 नवंबर 2025 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत वनरक्षक पद पर भर्ती के लिए अधिसूचित प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या के पांच गुना अभ्यर्थियों को योग्यता के अनुसार शारीरिक माप एवं पैदल चाल के लिए आमंत्रित किया जायेगा।
- (3) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो शारीरिक माप एवं पैदल चाल हेतु उपयुक्त होंगे अर्थात् जो नियम क्रमांक 1.3.1 में उल्लेखित श्रेणीवार उपलब्ध पदों के 05 गुना में, प्रावीण्यता के आधार पर स्थान प्राप्त करते हैं। यदि उपलब्ध पदों की पाँच गुना से भी अधिक छात्र किसी श्रेणी के अंतर्गत लिखित परीक्षा में पात्र होते हैं तो वह द्वितीय चरण की परीक्षा हेतु अपात्र होंगे, उनका नाम मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। शारीरिक माप एवं पैदल चाल हेतु केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जायेगा जो उस जिले के मेरिट सूची के अनुसार जिले के आवंटित पदों के 05 गुना की संख्या के अंतर्गत आते हैं। केवल 33% या 23% अंक प्राप्त कर लेने से वह शारीरिक माप एवं पैदल चाल हेतु पात्र नहीं होगा। इसके अतिरिक्त संबंधित जिले के नोडल वन मण्डलाधिकारी के कार्यालय में भी नोटिस बोर्ड पर इनके नाम प्रदर्शित किये जायेंगे। समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन नहीं किया जायेगा।
- (4) वनरक्षक का पद जिला केडर का पद है अतः मेरिट सूची जिलेवार वरीयता क्रम में बनाई जायेगी। अभ्यर्थी जिन जिलों हेतु आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उनके मेरिट में आने पर उन्हीं जिलों में रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।
- (5) आवेदक, आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु एक से अधिक जिलों का प्राथमिकता क्रम दर्शाते हुये चयन कर सकेगा। आवेदक की मेरिट एवं आवेदित जिलों में से प्राथमिकता क्रम अनुसार एक जिले हेतु चयन किया जावेगा।

1.7.1 पाठ्यक्रम:

वनरक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार 100 अंको की होगी। प्रश्न पत्र हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में रहेगा। परीक्षा की अवधि 2:00 घंटे की होगी।

1.7.2 शारीरिक क्षमता परीक्षण:

- (1) शारीरिक क्षमता परीक्षण वन विभाग द्वारा लिया जायेगा, जिसमें वनरक्षक पद के लिये न्यूनतम शारीरिक प्रमाण (स्टेण्डर्ड) निम्नानुसार होगा:-

शारीरिक प्रमाण	ऊँचाई	सीना सामान्य	सीने का न्यूनतम फुलाव
पुरुष	163 से.मी.	79 से.मी.	05 से.मी.
महिला	150 से.मी.	अपेक्षित नहीं	अपेक्षित नहीं

टिप्पणी- (क) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के लिये पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टीमीटर तथा महिला अभ्यर्थी की 145 सेन्टीमीटर होना चाहिये।

(ख) मध्यप्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीने के फुलाव (Chest Relaxation) में 5 से.मी. का (बिना फुलाए 74 से.मी./फुलाने के पश्चात 79 से.मी.) शिथिलीकरण किया जाएगा।

(ग) अभ्यर्थियों के शारीरिक माप वन विभाग द्वारा गठित एक समिति के द्वारा किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी समिति के प्रमाण से संतुष्ट नहीं है तो उसी समय स्थल पर प्रमाण के समय दोबारा प्रमाण कराने के लिए लिखित में अनुरोध कर घोषणा पत्र दे सकता है। दोबारा मापने के परिणाम को अंतिम माना जायेगा एवं वह उससे सहमत रहेंगे तथा बाद में इस संबंध में कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं करेंगे। अभ्यर्थी के लिखित घोषणा पत्र के आधार पर स्थल पर उपस्थित एक अपीलीय समिति जिसमें एक चिकित्सक भी सम्मिलित होंगे, के द्वारा पुनः प्रमाण किया जाएगा। अपीलीय समिति का निर्णय अंतिम एवं अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा। वन विभाग द्वारा निर्धारित इस प्रक्रिया के आधार पर जो परिमाण अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा उसके पश्चात पुनः परिमाण की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि म०प्र० तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम 2000 में दोबारा शारीरिक माप करने का प्रावधान नहीं है।

(2) पैदल चाल

पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर एवं महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी। यह केवल अर्हता के लिए है इसके लिए कोई अंक नहीं दिये जाएंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी से यह अपेक्षित होगा कि वह पैदल चाल प्रारम्भ होने के 60 मिनट पूर्व स्थल पर उपस्थित होगा। पैदल चाल प्रारम्भ होने के पश्चात् अधिकतम 30 मिनट बाद तक ही किसी अभ्यर्थी को पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी, परन्तु पैदल चाल के लिए पूर्व से निर्धारित समय तक पैदल चाल पूर्ण करना होगा। विलम्ब से पैदल चाल प्रारम्भ करने पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। पैदल चाल प्रारम्भ होने के 30 मिनट बाद उपस्थित होने पर पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जावेगी। पैदल चाल निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

किसी भी अभ्यर्थी को दोबारा पैदल चाल में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी, क्योंकि म०प्र० तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम 2000 में ऐसा प्रावधान नहीं है।

- नोट: (i) शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं पैदल चाल में अभ्यर्थी का उपस्थित होना अनिवार्य है। इसके अभाव में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
- (ii) प्रत्येक अभ्यर्थी को शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं पैदल चाल में भाग लेने के लिए उन्हें जारी **admit Card** लाना अनिवार्य होगा।
- (iii) म.प्र. राजपत्र (असाधारण) द्वारा म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-03-47-2008/10-1 दिनांक 12 नवंबर 2025 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत- "शारीरिक परीक्षण के परिणाम स्वरूप यदि कोई महिला अभ्यर्थी 12 सप्ताह या उससे अधिक की अवधि की गर्भवती पाई जाती है, तो बच्चे का जन्म होने तक उसे अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा। प्रसूति की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात रजिटीकृत चिकित्सा व्यवसायी से उपयुक्तता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर, उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु उसका पुनः परीक्षण किया जाएगा।"

टिप्पणी - नियुक्ति से पूर्व शासन नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

1.7.3 मेरिट सूची:

मण्डल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में निर्धारित आवश्यक प्राप्तांक के अनुसार परिणाम की जिलेवार, श्रेणीवार/प्रवर्गवार सूची वन विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके आधार पर विभाग द्वारा शारीरिक अर्हता एवं पैदल चाल के परीक्षण की कार्यवाही की जायेगी। विभाग द्वारा अभ्यर्थियों के शारीरिक परीक्षण एवं पैदल चाल में सफल/असफल अभ्यर्थियों की सूची ई.एस.बी. को उपलब्ध कराई जायेगी। इसके उपरांत मण्डल द्वारा अंतिम प्रावीण्य एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी तथा प्रदर्शित की जावेगी।

1.7.4 पारस्परिक वरीयता:

अंतिम प्रावीण्य सूची तैयार करते समय लिखित परीक्षा में समान परसेंटाईल प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरीयता ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर निर्धारित की जावेगी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी सह-वरीयता निर्धारित की जावेगी। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तिम CUT-OFF मार्क पर समान अंक/परसेंटाईल प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

1.7.5 दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन:

लिखित परीक्षा उपरांत विभाग द्वारा लिए जाने वाले शारीरिक माप एवं पैदल चाल के समय समस्त दस्तावेजों/ प्रमाण-पत्रों आदि का सत्यापन/परीक्षण किया जायेगा।

शारीरिक माप एवं पैदल चाल के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेखों की मूल प्रतियां एवं अभिप्रमाणित अतिरिक्त प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी, जिसका परीक्षण किया जायेगा:-

- ॐ आयु के प्रमाण हेतु (बोर्ड द्वारा जारी हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो)
- ॐ शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र (शिक्षा मण्डल से जारी हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र)
- ॐ अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण-पत्र (अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी)
- ॐ जीवित बच्चों के जन्मतिथि प्रमाणित करने हेतु अभिलेख (जन्म प्रमाण-पत्र/शाला की अंकसूची/मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड)
- ॐ भूतपूर्व सैनिक होने पर संचालक, सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
- ॐ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
- ॐ “विक्रम पुरस्कार” प्राप्त होने पर मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
- ॐ मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल का कर्मचारी होने पर संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

- ॐ स्वयंसेवी नगर सैनिक तथा नगर सेवा (होमगार्ड) के नॉन कमीशंड अधिकारी होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
- ॐ संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संविदा पर नियुक्ति के समय जारी आदेश/पत्र तथा वर्तमान में कार्यरत होने संबंधी, संबंधित संस्था/कार्यालय के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- ॐ स्थायी मूल निवासी प्रमाण-पत्र(तहसीलदार/नायब तहसीलदार स्तर से नीचे का न हो)।

1.7.6 लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण/शारीरिक माप एवं पैदल चाल में सफल उम्मीदवारों को केवल इसी आधार पर नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। शैक्षणिक योग्यता/जन्म प्रमाण-पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण-पत्रों की विधिवत् जांच/परीक्षण के उपरांत जिले में तत्समय उपलब्ध प्रवर्ग विशेष के पदों के विरुद्ध नियमानुसार संबंधित वन मण्डलाधिकारी द्वारा नियुक्ति दी जा सकेगी। प्रमाण-पत्र का सत्यापन जारी करने वाली संस्था से कराया जावेगा, उस पर होने वाला व्यय अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा। दस्तावेज/प्रमाण पत्र कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जायेगी।

1.8 यात्रा व्यय का भुगतान:

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रं. एफ-4-3/2018/नियम/चार, दिनांक 10.01.2019 अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा देने का उल्लेख है। तदनुसार अभ्यर्थियों को वन विभाग द्वारा नियमानुसार प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।

1.9 नियुक्ति की शर्तें :

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 अनुसार चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जावेगा। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। नियुक्त व्यक्ति को प्रदेश के प्रशिक्षण शालाओं में प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा।

1.10 न्याय क्षेत्राधिकार :

किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य की सीमा तक होगा।

(कमलिका मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.।।)

म.प्र. भोपाल

परिशिष्ट-1

[illegible]

नोट: 1. प्रत्येक जिले के रोस्टर आधार पर नियुक्ति के समय रिक्त पदों की गणना की जाकर नियुक्ति की जावेगी। पदों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है।

2. जिन जिलों में पद रिक्त नहीं है अथवा कम संख्या में पद रिक्त है उन्हें विज्ञापन में शामिल नहीं किया गया है।
3. विभाग में संविदा के कुल स्वीकृत पद 48 का 50 प्रतिशत अर्थात् 24 पदों हेतु संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये आरक्षित रखे गये हैं।
4. वनरक्षक के रिक्तियों का 01 प्रतिशत पद राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे। उक्त श्रेणी के पात्र अन्वर्थी ना मिलने पर उसी वर्ग के अन्य अन्वर्थियों से पद भरा जाएगा।
(खेल के नाम- तैराकी, टेबल टेनिस, लोन टेनिस, एथलेटिक्स)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. ।।)
म.प्र. भोपाल

वनरक्षक के रिक्त पदों हेतु मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे:-बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों जिलेवार आफ लाईन आवेदन पत्र भरे जाने हेतु जिला/वनमण्डल का पता एवं दूरभाष क्र० का विवरण

क्र.	वृत्त	वृत्त कार्यालय का पता	फोन नंबर	जिले के नोडल वनमण्डल अधिकारी का पता, जहां आवेदन पत्र भेजे जाने है।	वनमण्डल कार्यालय का फोन नं
1.	बालाघाट	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त बालाघाट, सिवनी रोड सिविल लाईन बालाघाट, पिन-481001	07632 241201	वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट, सिवनी रोड सिविल लाईन बालाघाट, पिन-481001	07632-248414, 9424790201
2.	बैतूल	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त बैतूल, कालापाठा बैतूल, पिन-460001,	07141 234396	वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमंडल बैतूल कालापाठा बैतूल, पिन-460001,	07141-234204, 9424790302
3.	भोपाल	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त भोपाल, लिंक रोड नं.-1 खेल परिसर, 74 बंगला, भोपाल, पिनकोड-462003,	0755 2674296,	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल सीहोर, रेल्वे स्टेशन फाटक के पास, गल्ली मंडी रोड, सीहोर पिनकोड-466001,	07562-222767, 9424790851
				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल रायसेन, जिला न्यायालय के सामने, सांची रोड, रायसेन, पिनकोड-464551,	07482-222027, 9424790651
4.	छतरपुर	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त छतरपुर, पुराना बिजावर नाका सागर रोड छतरपुर, पिनकोड-471001	07682 242107	वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमण्डल पन्ना, जगत चौकी, डायमण्ड चौराहा पन्ना, पिनकोड- 488001	07732-252029, 9424791151
5.	ग्वालियर	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त ग्वालियर, सेन्ट्रल नर्सरी रूपसिंह स्टेडियम के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर, पिन कोड-474002	0751 2340050	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल श्योपुर, रेल्वे स्टेशन के पास बिजलीघर रोड, श्योपुर पिनकोड-476337,	9424791925
6.	नर्मदापुरम	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त नर्मदापुरम, नर्मदा महाविद्यालय के सामने, नर्मदापुरम, पिनकोड-461001	07574 252521	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल हरदा पालीटेक्निक के पास, हरदा, पिनकोड-461001,	07577-222025 9424795902
7.	इन्दौर	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त इन्दौर, नवरतन बाग परिसर, इंदौर पिनकोड-452001	0731 2491831	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल धार मांडु नाका, धार पिनकोड-454001	07292-222250 9424792226
				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल झाबुआ सरदार पटेल मार्क, झाबुआ पिनकोड-457661,	07392-243316 94247.92428
				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल अलीराजपुर काष्ठागार डिपो केम्पस (खण्डवा-बड़ोदा मार्ग) अलीराजपुर पिनकोड-457887	07394-234530 9573759335

क्र.	वृत्त	वृत्त कार्यालय का पता	फोन नंबर	जिले के नोडल वनमण्डल अधिकारी का पता, जहां आवेदन पत्र भेजे जाने हैं।	वनमण्डल कार्यालय का फोन नं
8.	खण्डवा	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त खण्डवा, सिविल लाईन, खण्डवा, पिनकोड-450001	0733 2224120	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल खण्डवा सिविल लाईन, खण्डवा, पिनकोड-450001	0733-2223244 9424793176
				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बडवानी कारंजा चैराहा, बडवानी, पिनकोड-451551	07290-222038 94247930325
				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, बुरहानपुर, नेहरू स्टेडियम के सामने, रास्तीपुरा, बुरहानपुर, पिनकोड-450331,	07325-251280 9424793075
9.	रीवा	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त रीवा, जयंती कुंज झिरिया सेन्ट्रल स्कूल मार्ग रीवा, पिनकोड-486001	07662 299198	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल सिंगरौली बस स्टेण्ड रोड, महाराज होटल के पास, मोरवा सिंगरौली, पिनकोड-486889,	07805-355325 9424793526
				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल सीधी सम्राट (पृथ्वीराज सिंह) चैराहा से कोतवाली रोड, सीधी पिनकोड-486661	07822-252235 9424793606
10.	सिवनी	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त सिवनी, जबलपुर रोड ज्यारत नाका के पास, सिवनी पिनकोड-480661	07692 225554	वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल सिवनी कलेक्टर कार्यालय के पास महारानी लक्ष्मीबाई मार्ग, सिवनी, पिनकोड-480661,	07692-220530 9424794109
11.	शिवपुरी	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त शिवपुरी, वन विद्यालय, शिवपुरी, पिनकोड-473551	07492- 223392	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, शिवपुरी कोठी नं-11, ग्वालियर बायपास ए बी रोड, शिवपुरी पिनकोड-473551	07492-221012 9424794738
12.	उज्जैन	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त उज्जैन, दमदमा उद्यान मार्ग कोठी रिंग रोड, उज्जैन पिनकोड-456010	0734 2512101	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल देवास ताराणी कालोनी ए.बी. रोड, देवास, पिनकोड-455001	07272-253020 9424792127

अध्याय - 1 (ब)

मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, प्रथम तल, सी ब्लॉक,
वन भवन, तुलसी नगर भोपाल के अंतर्गत क्षेत्ररक्षक चयन परीक्षा - 2026

1.1 सामान्य:-

मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का पत्र क्रमांक/वविनि/प्रशा.2025/2709 दिनांक 29.07.2025 अनुसार म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के अंतर्गत कुल रिक्त 169 क्षेत्ररक्षकों के पदों पर भर्ती परीक्षा - 2026 हेतु आवेदन कर रहे सभी आवेदकों पर यह निर्देश लागू होंगे। उल्लेखित रिक्त पदों की संख्या में राज्य स्तरीय रोस्टर अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

1.2 परिभाषाएँ:-

(अ) इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) से होगा।

(ब) "आरक्षण" से अभिप्रेत है सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) एवं संविदा पर नियुक्त (कार्यरत) अधिकारी/कर्मचारियों के लिए पदों का आरक्षण।

"अन्य पिछड़े वर्गों" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85/पच्चीस/484 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग।

"उभयलिंगी" से अभिप्रेत है सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्रमांक सी-3-02/2022/3/1 भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 के अनुसार परिभाषित उभयलिंगी होने का प्रमाण पत्र जैसा कि जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उल्लेखित है। यदि प्रमाण पत्र में पुरुष का उल्लेख किया गया है तब पुरुष उम्मीदवार के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे और यदि महिला का उल्लेख किया गया है तब महिला उम्मीदवार के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

"अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

"अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

"आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)" मध्यप्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) जो, संविधान के अनुच्छेद-341 एवं 342 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है। (म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 02 जुलाई 2019)

"संविदा पर नियुक्त (कार्यरत) अधिकारी/कर्मचारियों" से आशय है वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी। (म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 दिनांक 05 जून 2018 एवं म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 (पार्ट फाईल) दिनांक 18-10-2022 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22.07.2023)

(स) "भर्ती का वर्ष" से अभिप्रेत है चालू वर्ष की पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की कालावधि, जिसके भीतर सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है।

(द) “मण्डल” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल।

(य) “निगम” से अभिप्रेत है म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड।

1.3 पदनाम, वेतनमान तथा शैक्षणिक योग्यता:-

पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता
क्षेत्ररक्षक कुल पद-169	19500-62000	मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेण्डरी अथवा 10+2 पद्धति से दसवी कक्षा उत्तीर्ण (हाईस्कूल)।

1.3.1 आरक्षण तालिका:-

सक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक	संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी	योग	रिमार्क
		ओपन	-	-	-	-	
1	अनारक्षित (UR)	14	02	06	22	44	कुल रिक्ति 169 पद का 01 प्रतिशत अर्थात 02 पद राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाड़ियों (खेलों के नाम- तैराकी, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स (दौड़, उंची कूद, लम्बी कूद, गोला फेंक, भाला फेंक एवं तवा फेंक) के लिये आरक्षित हैं। जिस श्रेणी का खिलाड़ी इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2	अनुसूचित जाति (SC)	07	02	05	14	28	
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	10	02	05	17	34	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	13	03	07	23	46	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	04	01	03	09	17	
	योग	48	10	26	85	169	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका

सक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक	संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी	योग
		ओपन	-	-	-	-
1	अनारक्षित (UR)	14	02	06	22	44
2	अनुसूचित जाति (SC)	07	02	05	14	28
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	10	02	05	17	34
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	07	02	04	12	25
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	04	01	03	09	17
	योग	42	9	23	74	148

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका

स. क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक	संविदा पर कार्यरत अधिकारी/	योग
		ओपन	-	-	-	-
1	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रावधिक	06	01	03	11	21
2	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	06	01	03	11	21

टीप-

- (1) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले क्षेत्ररक्षकों के पदों की जानकारी परिशिष्ट-1 में देखें। क्षेत्ररक्षक के पदों की संख्या, जिसमें भर्ती प्रस्तावित है, अनुमानित है। भर्ती के समय तत्समय उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती की जा सकेगी।
- (2) क्षेत्ररक्षक फील्ड का पद होने के कारण विकलांगों को भर्ती में शामिल करने का प्रावधान नहीं रखा गया है। म.प्र. शासन सामाजिक न्याय विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-3-18-2019-26-1 दिनांक 20 दिसम्बर 2019 द्वारा वनरक्षकों के पदों पर निःशक्तजनों की नियुक्ति से छूट प्रदान की गई है। म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. द्वारा आदेश क्रमांक/वविनि/प्रशा./1/07 दिनांक 07.04.2016 (संलग्नक-1) से निगम के परियोजना क्षेत्रपाल के भर्ती हेतु वनक्षेत्रपाल एवं क्षेत्ररक्षक की भर्ती हेतु वनरक्षक के लिये म.प्र. म.प्र. वन विभाग के प्रचलित भर्ती नियमों को निगम में अंगीकृत (Adopt) किया गया है। अतः निगम के क्षेत्ररक्षक पदों हेतु म.प्र. वन विभाग के वनरक्षक के समान ही निःशक्तजन के लिये आरक्षित पदों हेतु छूट प्राप्त होगी।
- (3) म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र.सी-3-8-2015-एक-3 दिनांक 17.11.15 द्वारा महिलाओं की भर्ती में छूट प्रदान की गई है, अतः महिलाओं हेतु पृथक से पद आरक्षित नहीं रखे गये हैं। मैरिट में चयनित होने पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।
- (4) म.प्र. राजपत्र (असाधारण) द्वारा म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-03-47-2008/10-1 दिनांक 12 नवंबर 2025 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्ररक्षक के पद पर भर्ती हेतु होमगार्ड स्वयं सेवा सैनिकों हेतु आरक्षित प्रतिशत एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित 10 प्रतिशत पदों पर हारिजन्टल आरक्षण लागू होगा, परन्तु पर्याप्त संख्या में होमगार्ड/भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों की उपलब्धता न होने पर, शेष पदों को रोस्टर अनुसार उसी प्रवर्ग के गैर होमगार्ड/गैर भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से भरा जावेगा। तदनुसार निगम में भी क्षेत्ररक्षक पद हेतु उक्त प्रावधान लागू रहेगा।
- (5) म.प्र. राजपत्र (असाधारण) द्वारा म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-03-47-2008/10-1 दिनांक 12 नवंबर 2025 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विभाग में सीधी भर्ती के नियमित पदों के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के 50 प्रतिशत तक के पद, दोनों में से जो भी कम हो, संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इस नियम के अधीन आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेने और नियुक्ति प्राप्त कर ले (कार्यभार ग्रहण करने) के पश्चात वह अभ्यर्थी पुनः लाभ का पात्र नहीं होगा। यदि उक्त श्रेणी के पात्र कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो वह पद उसी वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों में से भरा जाएगा। तदनुसार निगम में भी क्षेत्ररक्षक पद हेतु उक्त प्रावधान लागू रहेगा।
- (6) म.प्र. राजपत्र (असाधारण) द्वारा म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-03-47-2008/10-1 दिनांक 12 नवंबर 2025 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत वनरक्षक कुल

रिक्तियों का 01 प्रतिशत पद राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे। उक्त श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी ना मिलने पर उसी वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों से पद भरा जाएगा। तदनुसार निगम में भी क्षेत्ररक्षक पद हेतु उक्त प्रावधान लागू रहेगा।

1.3.2 आरक्षण से संबंधित स्पष्टीकरण:-

1. आरक्षित वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के सत्यापन/परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
2. भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के सत्यापन/परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
3. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 7-22/2019/आ.प्र./एक दिनांक 30.05.2019 अनुसार आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध:- यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की **सहारिया/सहरिया** आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनुपपूर की **बैगा** आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाडा एवं सिवनी की **भारिया** जनजाति का है, क्षेत्ररक्षक (कार्यपालक) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित की गई **न्यूनतम अर्हता** रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरुद्ध अपने आवेदन पत्र (**संलग्न प्रारूप 02 अनुसार**), आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु नोडल संभागीय प्रबंधक म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, को प्रेषित करेंगे। (**पते की सूची संलग्न है**)

परीक्षा की तिथि के पूर्व इस प्रकार प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त नियुक्ति संबंधी कार्यवाही म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। यदि पदों की संख्या में कोई परिवर्तन होता है तो अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पदों की संख्या बावत् एक संक्षिप्त संशोधित विज्ञापन जारी किया जायेगा। इसके पश्चात् अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों तथा अन्य श्रेणियों के पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित कराया जाना प्रस्तावित होगा। इस प्रकार जारी विज्ञापन में अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या परिवर्तनीय होगी जो विशेष आदिम जनजाति (पीटीजी) समुदायों के अतिरिक्त अन्य अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की

नियुक्ति उपरान्त शेष रिक्तियों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये मध्यप्रदेश शासन के आरक्षण नियमानुसार परीक्षा परिणाम जारी किया जायेगा।

होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण का प्रारूप संलग्न 03 अनुसार है।

1.4 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में:-

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार

(क) भारत का नागरिक हो।

(ख) नेपाल का नागरिक हो सकता है।

(ग) यदि (ख) हो तो म.प्र. सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के लागू नियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है।

नोट:- किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा म.प्र.सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के अनुसार उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

(II) अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र तहसीलदार/नायब तहसीलदार स्तर से नीचे का न हो उक्त प्रमाण-पत्र परीक्षण/सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

III½ ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।

IV½ अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन उनके जारी किये जाने वाली संस्था/विद्यालय से कराया जायेगा, जिस पर होने वाला व्यय अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

V½ यदि किसी अभ्यर्थी का कोई भी प्रमाण पत्र कूटरचित पाया जाता है या कोई गलत जानकारी दी जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी को बिना किसी पूर्व सूचना के सेवामुक्त किया जायेगा एवं अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जायेगा।

1.5 आवेदकों के लिए आयु सीमा:-

चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक पूर्व जनवरी के प्रथम दिन को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। अर्थात् अभ्यर्थी की आयु की गणना 01 जनवरी 2026 से निर्धारित की जावेगी।

म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सी. 3-14/2019/ एक/3 दिनांक 19.12.2019 अनुसार आयु सीमा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही उपलब्ध होगी। इस चयन परीक्षा के लिये मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होनी चाहिये:-

स0क्र0	भर्ती का तरीका	न्यूनतम आयुसीमा	अधिकतम आयु सीमा
01	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के आवेदकों हेतु।	18 वर्ष	33 वर्ष
02	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) पुरुष/महिला आवेदक (अनु0जाति/अनु0जजा/अन्य पिछडा वर्ग)/ शासकीय सेवकों/ निगम/ मंडल/ स्वायत्तशासी संस्थायें/नगर सैनिक)	18 वर्ष	38 वर्ष (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट सहित)

नोट:- (1) सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन आवेदन दिनांक को होना अनिवार्य होगा ।

(2) अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध उपरोक्त सभी प्रकार की छूटें मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही उपलब्ध होंगी। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को उपरोक्त छूटें अथवा आरक्षण प्राप्त नहीं होगा तथा अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में ही शामिल होने की पात्रता होगी।

किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को तदाशय का निर्धारण प्रारूप के प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय पेश करना होगा। जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा।

1.5.1 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें:-

(अ) आदिम जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत उच्च जाति के पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ब) "विक्रम पुरस्कार" प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

1.5.2 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण:-

(1) उपरोक्त रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(2) ऐसे अभ्यर्थी को जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं के कारण हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु उसके परिणामस्वरूप प्राप्त आयु उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

स्पष्टीकरण: शब्द "छटनी किया गया शासकीय सेवक" ऐसे व्यक्ति का द्योतक है, जो इस राज्य की या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम 6 मास की कालावधि तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

(3) भूतपूर्व सैनिक हेतु आयु सीमा-आयु सीमा के संबंध में विशेष उपबन्ध-राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में किसी रिक्त स्थान पर चाहे वह इन नियमों के अधीन आरक्षित हो या अनारक्षित हो, नियुक्ति के लिए प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को, जो संघ के सशस्त्र बलों में लगातार कम से कम छः मास तक सेवा में रहा हो, उसकी वास्तविक आयु में से ऐसी सेवा की कालावधि घटाने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा यदि इसके परिणामस्वरूप आयु उस पद या सेवा के लिये, जिसके लिये वह नियुक्ति चाहता है, विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से

अधिक न हो, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह आयु-सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है।

स्पष्टीकरण - "भूतपूर्व सैनिकों" से अभिप्रेत, ऐसा व्यक्ति जिसने संघ सशस्त्र बलों में भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित है, किसी भी रैंक (लड़ाकू या गैर लड़ाकू) में सेवा की हो और-

(एक) जिसे 1 जुलाई 1968 से पूर्व अवचार या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवान्मुक्त किया गया हो।

(दो) प्रमाणीकरण के पश्चात लगातार छह मास से अन्यून की कालावधि के लिए और अवचार या अदक्षता के कारण 1 जुलाई 1968 को या उसके पश्चात किन्तु 30 जून 1979 के पूर्व पदच्युत या सेवान्मुक्त किया गया हो।

(तीन) जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के सशस्त्र बल सम्मिलित है किन्तु असम राइफल्स, डिफेंस सिक्योरिटी, कार्पस, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, लोक सहायक सेना एवं टेरीटोरियल आर्मी को छोड़कर जिसने प्रमाणीकरण के पश्चात छह मास से अन्यून की कालावधि के लिये सेवाएं दी हो और जो 1 जुलाई 1979 को या उसके पश्चात किन्तु 1 जुलाई 1987 के पूर्व अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा निर्मुक्त किया गया हो और कोई व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण की हो तथा जिसे भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपने स्वयं के अनुरोध पर निर्मुक्त किया गया हो।

“जो भूतपूर्व सैनिक कदाचार या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवान्मुक्त किया गया हो वह भूतपूर्व सैनिक होने के लिये स्थायी रूप से निहर्हित होगा”

(4) संविदा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संविदा सेवक पात्र होंगे, अर्थात :-

(एक) आवेदक विभाग में नियमित भर्ती के रिक्त पद के समकक्ष संविदा पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि के लिए संविदा आधार पर निरंतर नियोजित रहा हो। संविदा पद से नियमित पद की समतुल्यता का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन करने की दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। उसे इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा यह प्रमाण पत्र, यथास्थिति जिला अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

(दो) यदि किसी संविदा कर्मचारी/अधिकारी ने एक ही संविदा पद पर कार्य न करते हुए विभिन्न संविदा पदों पर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के नियमित पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने में समर्थ होगा, जो राज्य शासन द्वारा नियमित पद के समतुल्यता निर्धारण के पश्चात 05 वर्ष की अवधि में निम्नतम श्रेणी का रहा हो

(तीन) यदि किसी संविदा कर्मचारी/अधिकारी को संविदा सेवा से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्त किया गया हो तो 05 वर्ष की अवधि की गणना, सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी।

(चार) किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्त कर्मचारी/अधिकारी जो नियमित पद हेतु समकक्षता एवं अर्हता रखता हो, वन विभाग द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा।

(पांच) नियमित नियुक्ति की दशा में, संविदा कर्मचारी/अधिकारी को पूर्व की संविदा सेवाओं का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(छह) संविदा कर्मचारी/अधिकारी के लिए आरक्षित किए गए नियमित पदों पर चयन, भर्ती की पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, इस प्रयोजन हेतु नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम कट आफ अंक नियत किये जा सकेंगे।

(सात) यदि संविदा कर्मचारी/अधिकारी एक अथवा एक से अधिक प्रकार के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो तो ऐसी स्थिति में, संविदा पद के जिस समकक्ष नियमित पद पर वह नियुक्ति हेतु आवेदन करता है, उसके बराबर या उच्चतर संविदा पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा, उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी। आयु संबंधी समस्त छूटों को सम्मिलित करते हुए संविदा अधिकारी की अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(आठ) वे पद जो संविदा कर्मचारी/अधिकारी के लिए समकक्ष नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षित हैं वे केवल उस स्थिति में अन्य अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे, जिन पदों को भरे जाने के लिए विहित पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के पालन उपरांत पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मचारी/अधिकारी अंतिम रूप से चयनित अथवा अर्हित नहीं हो पाते हैं। संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये आरक्षित पद रिक्त रहने की दशा में कैरी फारवर्ड नहीं किये जाएंगे।

(नौ) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया में, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

टिप्पणी

- (1) शासन के मानदेय पर या अन्य स्वयं सेवियों या कर्मियों तथा "शिक्षा कर्मी" 'पंचायत कर्मी' आदि को आयु में छूट सुविधा प्राप्त नहीं होगी।
- (2) जो अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रमाण-पत्र, परीक्षण/सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
- (3) यदि कोई आवेदक निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा।

1.5.3 शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता-

- (1) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/प्रशा.।।/क्षे.स्था.2/788 भोपाल दिनांक 25.02.2026 के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल दिनांक 22 फरवरी, 2022 के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 14/04/1972 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल दिनांक 06 अप्रैल, 2023 के निर्देश के विभिन्न वर्गों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्रम एवं इनके साथ ही ज्ञाप क्रमांक 172/2184/1/3/दिनांक 27 फरवरी, 1982 के द्वारा जनगणना 1981 अतिशेष एवं ज्ञाप क्रमांक एफ सी-3-31-90-49-3 दिनांक 19 सितंबर, 1990 निर्वाचन अतिशेष कर्मचारियों की प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

1	हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को	ए-2
2	भूतपूर्व सैनिकों (Demobilised Defence forces personal-Ex Servicemen-other ranks) को	ए-3
3	निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी	बी
4	अतिशेष कर्मचारियों को	बी
5	जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी	बी-1
6	कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को	बी-2
7	राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC) के उम्मीदवारों का जिनके पास "सी" प्रमाण पत्र	सी-1
8	वर्मा एवं सिलोन से आये हुए भारतीय नागरिकों को	सी-2

- (1) कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गों की सूची में राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्यरत सेक्शन राईटर्स को सम्मिलित किया जाता है।
- (2) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के असाधारण राजपत्र क्रमांक सी.सी. 3-10/2013/1/3 दिनांक 04 अक्टूबर 2013 से राज्य शासन अंतर्गत स्वीकृत सभी कनिष्ठ पदों पर चयन म.प्र.कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम 2013 के अंतर्गत मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाना नियत किया गया है।
- (3) कंडिका 2 में उल्लेखित परीक्षा की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता दिए जाने के विषय में अब राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि -
 - (अ) कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु-सीमा 55 वर्ष निर्धारित की जाती है।
 - (ब) कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्रातांक में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक प्रदान किए जायेंगे।

1.6 अभ्यर्थिता/चयन के संबंध में निर्हताएं/जानकारी:

1. पररूपधारण।
2. पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, ऐसे मामलों में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
3. जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या इसके पश्चात हुआ है। परन्तु निरर्हित नहीं होगा कि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतानों का जन्म होता है।
4. जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोषी ठहराया गया हो तथा पुलिस वैरिफिकेशन में शासकीय सेवा के लिए अपात्र पाये जाने की स्थिति में।

1.7 चयन प्रक्रिया के चरण/आधार:

- (1) क्षेत्ररक्षकों के पदों पर चयन हेतु मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा लिखित परीक्षा तथा मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, द्वारा शारीरिक क्षमता परीक्षण लिया जायेगा। लिखित परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 33% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग

के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 23% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। उक्त निर्देश संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों पर भी श्रेणीवार लागू होंगे।

म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. सी-3-8/2016/1/3 दिनांक 22.9.2022 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 10% की छूट प्रदान की जायेगी, किन्तु उम्मीदवारों का चयन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये बनाई गई चयन सूची में से मेरिट के आधार पर ही किया जावेगा।

- (2) म.प्र. राजपत्र (असाधारण) द्वारा म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-03-47-2008/10-1 दिनांक 12 नवंबर 2025 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत वनरक्षक पद पर भर्ती के लिए अधिसूचित प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या के पांच गुना अभ्यर्थियों को योग्यता के अनुसार शारीरिक माप एवं पैदल चाल के लिए आमंत्रित किया जायेगा।
- (3) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो शारीरिक माप एवं पैदल चाल हेतु उपयुक्त होंगे अर्थात् जो नियम क्रमांक 1.3.1 में उल्लेखित श्रेणीवार उपलब्ध पाँच गुना पदों में, प्रावीण्यता के आधार पर स्थान प्राप्त करते हैं। यदि उपलब्ध पदों की पाँच गुना से भी अधिक छात्र किसी श्रेणी के अंतर्गत लिखित परीक्षा में पात्र होते हैं तो वह द्वितीय चरण की परीक्षा हेतु अपात्र होंगे, उनका नाम मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। शारीरिक माप एवं पैदल चाल हेतु केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जायेगा जो उस मेरिट सूची के अनुसार 05 गुना आवंटित पदों की संख्या के अंतर्गत आते हैं। केवल 33% या 23% अंक प्राप्त कर लेने से वह शारीरिक माप एवं पैदल चाल हेतु पात्र नहीं होगा। इसके अतिरिक्त भोपाल स्थित नोडल वन मण्डलाधिकारी/निगम के संभागीय प्रबंधक के कार्यालय में भी नोटिस बोर्ड पर इनके नाम प्रदर्शित किये जायेंगे। समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन नहीं किया जायेगा।
- (4) क्षेत्ररक्षक का पद राज्य स्तर का पद है। क्षेत्ररक्षक की मेरिट सूची वरीयता क्रम में बनाई जाकर नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।

1.7.1 पाठ्यक्रम:

क्षेत्ररक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार 100 अंको की होगी। प्रश्न पत्र हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में रहेगा। परीक्षा की अवधि 2:00 घंटे की होगी।

1.7.2 शारीरिक क्षमता परीक्षण:

- (1) शारीरिक क्षमता परीक्षण म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. निगम द्वारा लिया जायेगा, जिसमें क्षेत्ररक्षक पद के लिये न्यूनतम शारीरिक प्रमाण (स्टैण्डर्ड) निम्नानुसार होगा:-

शारीरिक प्रमाण	ऊँचाई	सीना सामान्य	सीने का न्यूनतम फुलाव
पुरुष	163 से.मी.	79 से.मी.	05 से.मी.
महिला	150 से.मी.	अपेक्षित नहीं	अपेक्षित नहीं

टिप्पणी- (क) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के लिये पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 152 सेन्टीमीटर तथा महिला अभ्यर्थी की 145 सेन्टीमीटर होना चाहिये ।

(ख) मध्यप्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीने के फुलाव (Chest Relaxation) में 5 से.मी. का (बिना फुलाए 74 से.मी./फुलाने के पश्चात 79 से.मी.) शिथिलीकरण किया जाएगा।

(ग) अभ्यर्थियों के शारीरिक माप वन विभाग/निगम द्वारा गठित एक समिति के द्वारा किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी समिति के प्रमाण से संतुष्ट नहीं है तो उसी समय स्थल पर प्रमाण के समय दोबारा प्रमाण कराने के लिए लिखित में अनुरोध कर घोषणा पत्र दे सकता है। दोबारा मापने के परिणाम को अंतिम माना जायेगा एवं वह उससे सहमत रहेंगे तथा बाद में इस संबंध में कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं करेंगे। अभ्यर्थी के लिखित घोषणा पत्र के आधार पर स्थल पर उपस्थित एक अपीलीय समिति जिसमें एक चिकित्सक भी सम्मिलित होंगे, के द्वारा पुनः प्रमाण किया जाएगा। अपीलीय समिति का निर्णय अंतिम एवं अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा। निगम द्वारा निर्धारित इस प्रक्रिया के आधार पर जो परिमाण अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा उसके पश्चात पुनः परिमाण की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि म0प्र0 तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम 2000 में दोबारा शारीरिक माप करने का प्रावधान नहीं है।

(2) पैदल चाल

पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर एवं महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी। यह केवल अर्हता के लिए है इसके लिए कोई अंक नहीं दिये जाएंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी से यह अपेक्षित होगा कि वह पैदल चाल प्रारम्भ होने के 60 मिनट पूर्व स्थल पर उपस्थित होगा। पैदल चाल प्रारम्भ होने के पश्चात् अधिकतम 30 मिनट बाद तक ही किसी अभ्यर्थी को पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी, परन्तु पैदल चाल के लिए पूर्व से निर्धारित समय तक पैदल चाल पूर्ण करना होगा। विलम्ब से पैदल चाल प्रारम्भ करने पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। पैदल चाल प्रारम्भ होने के 30 मिनट बाद उपस्थित होने पर पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जावेगी। पैदल चाल निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। किसी भी अभ्यर्थी को दोबारा पैदल चाल में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी, क्योंकि म0प्र0 तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम 2000 में ऐसा प्रावधान नहीं है।

- नोटः
- (i) शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं पैदल चाल में अभ्यर्थी का उपस्थित होना अनिवार्य है। इसके अभाव में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
 - (ii) प्रत्येक अभ्यर्थी को शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं पैदल चाल में भाग लेने के लिए उन्हें जारी **admit Card** लाना अनिवार्य होगा।
 - (iii) म.प्र. राजपत्र (असाधारण) द्वारा म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-03-47-2008/10-1 दिनांक 12 नवंबर 2025 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत- "शारीरिक परीक्षण के परिणाम स्वरूप यदि कोई महिला अभ्यर्थी 12 सप्ताह या उससे अधिक की अवधि की गर्भवती पाई जाती है, तो बच्चे का जन्म होने तक उसे अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा। प्रसूति की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से उपयुक्तता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर, उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु उसका पुनः परीक्षण किया जाएगा।"

टिप्पणी - नियुक्ति से पूर्व शासन नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

1.7.3 मेरिट सूची:

मण्डल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में निर्धारित आवश्यक प्राप्तांक के अनुसार परिणाम की श्रेणीवार/प्रवर्गवार सूची निगम को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके आधार पर निगम द्वारा शारीरिक अर्हता एवं पैदल चाल के परीक्षण की कार्यवाही की जायेगी। निगम द्वारा अभ्यर्थियों के शारीरिक परीक्षण एवं पैदल चाल में सफल/असफल अभ्यर्थियों की सूची ई.एस.बी. को उपलब्ध कराई जायेगी। इसके उपरांत मण्डल द्वारा अंतिम प्रावीण्य एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी तथा प्रदर्शित की जावेगी।

1.7.4 पारस्परिक वरीयता:

अंतिम प्रावीण्य सूची तैयार करते समय लिखित परीक्षा में समान परसेंटाईल प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरीण्यता ऑनलाईन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर निर्धारित की जावेगी। ऑनलाईन लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी सहवरीण्यता निर्धारित की जावेगी। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तिम CUT-OFF मार्क पर समान अंक/परसेंटाईल प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

1.7.5 दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन:

लिखित परीक्षा उपरांत विभाग/निगम द्वारा लिए जाने वाले शारीरिक माप एवं पैदल चाल के समय समस्त दस्तावेजों/ प्रमाण-पत्रों आदि का सत्यापन/परीक्षण किया जायेगा।

शारीरिक माप एवं पैदल चाल के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेखों की मूल प्रतियां एवं अभिप्रमाणित अतिरिक्त प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी, जिसका परीक्षण किया जायेगा:-

- ॐ आयु के प्रमाण हेतु (बोर्ड द्वारा जारी हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो)
- ॐ शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र (शिक्षा मण्डल से जारी हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र)
- ॐ अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण-पत्र (अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी)
- ॐ जीवित बच्चों के जन्मतिथि प्रमाणित करने हेतु अभिलेख (जन्म प्रमाण-पत्र/शाला की अंकसूची/मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड)
- ॐ भूतपूर्व सैनिक होने पर संचालक, सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
- ॐ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
- ॐ “विक्रम पुरस्कार” प्राप्त होने पर मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
- ॐ मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल का कर्मचारी होने पर संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

- ॐ स्वयंसेवी नगर सैनिक तथा नगर सेवा (होमगार्ड) के नॉन कमीशंड अधिकारी होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
- ॐ संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संविदा पर नियुक्ति के समय जारी आदेश/पत्र तथा वर्तमान में कार्यरत होने संबंधी, संबंधित संस्था/कार्यालय के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- ॐ स्थायी मूल निवासी प्रमाण-पत्र(तहसीलदार/नायब तहसीलदार स्तर से नीचे का न हो)।

1.7.6 लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण/शारीरिक माप एवं पैदल चाल में सफल उम्मीदवारों को केवल इसी आधार पर नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। शैक्षणिक योग्यता/जन्म प्रमाण-पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण-पत्रों की विधिवत् जांच/परीक्षण के उपरांत तत्समय उपलब्ध प्रवर्ग विशेष के पदों के विरुद्ध नियमानुसार संबंधित संभागीय प्रबंधक द्वारा नियुक्ति दी जा सकेगी। प्रमाण-पत्र का सत्यापन जारी करने वाली संस्था से कराया जावेगा, उस पर होने वाला व्यय अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा। दस्तावेज/प्रमाण पत्र कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जायेगी।

1.8 यात्रा व्यय का भुगतान:

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रं. एफ-4-3/2018/नियम/चार, दिनांक 10.01.2019 अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा देने का उल्लेख है। तदनुसार अभ्यर्थियों को निगम द्वारा नियमानुसार प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।

1.9 नियुक्ति की शर्तें :

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 अनुसार चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जावेगा। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। नियुक्त व्यक्ति को प्रदेश के प्रशिक्षण शालाओं में प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा।

1.10 न्याय क्षेत्राधिकार :

किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य की सीमा तक होगा।

(डॉ. अर्चना शुक्ला)

अपर प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि.

क्षेत्ररक्षक (कार्यपालिक) भर्ती हेतु संवर्गवार क्षेत्रीय आरक्षण तालिका वर्ष 2025-26

सक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक	संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी	योग	रिमार्क
		ओपन	-	-	-	-	
1	अनारक्षित (UR)	14	02	06	22	44	कुल रिक्ति 169 पद का 01 प्रतिशत अर्थात 02 पद राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाड़ियों (खेलों के नाम- तैराकी, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स (दौड़, उंची कूद, लम्बी कूद, गोला फेंक, भाला फेंक एवं तवा फेंक) के लिये आरक्षित हैं। जिस श्रेणी का खिलाड़ी इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2	अनुसूचित जाति (SC)	07	02	05	14	28	
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	10	02	05	17	34	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	13	03	07	23	46	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	04	01	03	09	17	
	योग	48	10	26	85	169	

क्षेत्ररक्षक (कार्यपालिक) भर्ती हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग की संवर्गवार क्षेत्रीय आरक्षण तालिका वर्ष 2025-26

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका

क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक	संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी	योग
		ओपन	-	-	-	-
1	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	07	02	04	12	25

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका

क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक	संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी	योग
		ओपन	-	-	-	-
1	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रावधिक	06	01	03	11	21
2	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	06	01	03	11	21

(डॉ. अर्चना शुक्ला)

अपर प्रबंध संचालक

क्षेत्ररक्षक के रिक्त पदों हेतु मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे:-बैगा, सहारिया/सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा आफ लाईन आवेदन पत्र भरे जाने हेतु परियोजना मंडल का पता एवं दूरभाष क्र० का विवरण

क्र.	परियोजना मंडल का नाम	नोडल अधिकारी का पता, जहां आवेदन पत्र भेजे जाने हैं।	परियोजना मंडल कार्यालय का फोन नं
13.	विदिशा-रायसेन परियोजना मंडल, भोपाल	संभागीय प्रबंधक, विदिशा-रायसेन परियोजना मंडल, भोपाल म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. 74 बंगले, खेल परिसर, भोपाल 462003	0755-2802307 9425367241
14.	सीहोर परियोजना मंडल, सीहोर	संभागीय प्रबंधक, सीहोर परियोजना मंडल, सीहोर म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. जंगल अहाता, इंदौर नाका सीहोर म.प्र. 466001	07562-226345 9425367241
15.	खण्डवा परियोजना मंडल, खण्डवा	संभागीय प्रबंधक, खण्डवा परियोजना मंडल, खण्डवा म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. सिविल लाईन जिला न्यायालय के सामने खण्डवा म.प्र. 450001	0733-2225025 7987476624
16.	रामपुर भतौड़ी परियोजना मंडल, बैतूल	संभागीय प्रबंधक, रामपुर भतौड़ी परियोजना मंडल, बैतूल म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. सदर बाजार इटारसी रोड, बैतूल म.प्र. 460001	07141-238417 9691704739
17.	छिन्दवाड़ा परियोजना मंडल, छिन्दवाड़ा	संभागीय प्रबंधक, छिन्दवाड़ा परियोजना मंडल, छिन्दवाड़ा म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. कार्य आयोजना छिन्दवाड़ा कार्यालय के पास छिन्दवाड़ा म.प्र. 480001	07162-292787 9654254454
18.	कुण्डम परियोजना मंडल, जबलपुर	संभागीय प्रबंधक, कुण्डम परियोजना मंडल, जबलपुर म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. 451 संजीवनी नगर गढ़ा जबलपुर म.प्र. 482001	0761-2420362 8305662790
19.	उमरिया परियोजना मंडल, उमरिया	संभागीय प्रबंधक, उमरिया परियोजना मंडल, उमरिया म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. पो.आ. उमरिया जिला उमरिया म.प्र. 484661	07653-222218 9479552630
20.	रीवा-सीधी परियोजना मंडल, सीधी	संभागीय प्रबंधक, रीवा-सीधी परियोजना मंडल, सीधी म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. वन मंडल कैम्पस कोतवाली रोड, सीधी जिला सीधी म.प्र. 486661	07822-796058 9407069050
21.	मोहगांव परियोजना मंडल, मण्डला	संभागीय प्रबंधक, मोहगांव परियोजना मंडल, मण्डला म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. साउथ मंडला फारेस्ट डिवीजन के सामने सिविल लाईन मण्डला म.प्र. 481661	07642-251287 9479552630
22.	बरघाट परियोजना मंडल, सिवनी	संभागीय प्रबंधक, बरघाट परियोजना मंडल, सिवनी म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. नागपुर जबलपुर रोड, ज्यारत नाका के पास सिवनी म.प्र. 480661	07692-220240 9977758432
23.	लामटा परियोजना मंडल, बालाघाट	संभागीय प्रबंधक, लामटा परियोजना मंडल, बालाघाट म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. अधीक्षण यंत्री, बैनगंगा सर्किट आफिस के सामने बालाघाट म.प्र. पिन- 481001	07632-240772 9977758432

अध्याय - 2 (अ)

मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के अंतर्गत प्रहरी (कार्यपालिक) के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2026

विभागीय नियम

म.प्र. शासन, जेल विभाग के अंतर्गत प्रहरी पद हेतु सीधी भर्ती चयन परीक्षा-2026 के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों पर यह नियम लागू होंगे। पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

1. परिभाषाएँ:-

1.1 "आरक्षण" से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।

1.2 "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

1.3 "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

1.4 "अन्य पिछड़े वर्गों" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85/पच्चीस/484 दिनांक 26 दिसंबर, 1984 में यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

1.5 "उभयलिंगी" से अभिप्रेत है सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्रमांक सी-3-02/2022/3/1 भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 के अनुसार परिभाषित उभयलिंगी होने का प्रमाण पत्र जैसा कि जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उल्लेखित है। यदि प्रमाण पत्र में पुरुष का उल्लेख किया गया है तब पुरुष उम्मीदवार के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे और यदि महिला का उल्लेख किया गया है तब महिला उम्मीदवार के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

1.6 "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-07/11/2019/आ.प्र./एक भोपाल 2 जुलाई 2019 में यथा विनिर्दिष्ट किया गया है।

1.7 "होमगार्ड" से अभिप्रेत है होमगार्ड गैर-कमीशन अधिकारी जिन्होंने इन पदों पर सक्रिय सेवा के 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

1.8 "विभाग" से अभिप्रेत है जेल विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है।

1.9 "प्रथम चरण" से अभिप्रेत है- मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा।

1.10 "द्वितीय चरण" से अभिप्रेत है-प्रथम चरण ऑनलाईन परीक्षा के बाद जेल विभाग द्वारा आयोजित शारीरिक दक्षता प्रवीणता टेस्ट।

1.11 "म.प्र." से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य से है।

2. सामान्य:-

2.1 अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

2.2 सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्र. सी-3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

2.3 शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके बाद हुआ है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं

होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद प्रसव में 2 या अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो , उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा।

2.4 चयन के लिए उपस्थित होने के लिए शासकीय अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी, कार्यभार ग्रहण करते समय नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत करनी होगी।

2.5 शासकीय/अर्ध-शासकीय या भूतपूर्व , होमगार्ड के मामले में अनुशासनिक आधार पर आयोग्य या सेवा से हटाए गए अभ्यर्थी को भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।

2.6 प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु-सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी।

2.7 प्रहरी पद कार्यपालिक होने के कारण चयनित अभ्यर्थियों को गृह जिला आवंटित नहीं किया जाएगा।

2.8 नियुक्ति आदेश में निर्धारित दिनांक को समय पर उपस्थित नहीं होने वाले चयनित अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची से हटा दिए जाएंगे और उनका नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा, इस संबंध में चिकित्सा प्रमाण-पत्र या अन्य आधार स्वीकार्य नहीं होगा जब-तक कि सक्षम प्राधिकारी के लिखित आदेश द्वारा उपस्थित होने की तिथि पहले विशेष रूप से अनुमति न दे दी जाए।

2.9 शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता-

- (1) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/प्रशा.11/क्षे.स्था.2/788 भोपाल दिनांक 25.02.2026 के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल दिनांक 22 फरवरी, 2022 के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 14/04/1972 एवं मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल दिनांक 06 अप्रैल , 2023 के निर्देश के विभिन्न वर्गों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्रम एवं इनके साथ ही जाप क्रमांक 172/2184/1/3/दिनांक 27 फरवरी, 1982 के द्वारा जनगणना 1981 अतिशेष एवं जाप क्रमांक एफ सी-3-31-90-49-3 दिनांक 19 सितंबर, 1990 निर्वाचन अतिशेष कर्मचारियों की प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

1	हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को	ए-2
2	भूतपूर्व सैनिकों (Demobilised Defence forces personal-Ex Servicemen-other ranks) को	ए-3
3	निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी	बी
4	अतिशेष कर्मचारियों को	बी
5	जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी	बी-1
6	कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को	बी-2
7	राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC) के उम्मीदवारों का जिनके पास "सी" प्रमाण पत्र	सी-1
8	वर्मा एवं सिलोन से आये हुए भारतीय नागरिकों को	सी-2

- (2) कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गों की सूची में राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्यरत सेक्शन राईटर्स को सम्मिलित किया जाता है।
- (3) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के असाधारण राजपत्र क्रमांक सी.सी. 3-10/2013/1/3 दिनांक 04 अक्टूबर 2013 से राज्य शासन अंतर्गत स्वीकृत सभी कनिष्ठ पदों पर चयन म.प्र.कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम 2013 के अंतर्गत मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाना नियत किया गया है।
- (4) कंडिका 2 में उल्लेखित परीक्षा की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता दिए जाने के विषय में अब राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि -
- (अ) कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु-सीमा 55 वर्ष निर्धारित की जाती है।
- (ब) कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्रातांक में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक प्रदान किए जायेंगे।

3. **पदनाम, वेतनमान तथा शैक्षणिक योग्यता:-**

सीधी भर्ती के पदों का वर्गवार विवरण

(01) पदनाम -प्रहरी (वेतनमान 5200-20200+1900 ग्रेड- पे) सातवाँ वेतनमान रुपये 19500-62000 (लेवल-4) (म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक सी. 3-13/2019/ 3/ एक/दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टाइपेंड देय होगा, दिये गए वेतनमान के अलावा समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता तथा परिलब्धियाँ देय होंगी, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम-4/दिनांक 13.04.2005 एवं क्र. एफ-9/डी/2003 नियम-4 दिनांक 2.7.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई है।

4. **आरक्षण तालिका:-**

भरे जाने वाले उपर्युक्त पदों की संख्या का विवरण:- (म.प्र. शासन सा.प्र.वि. के ज्ञापन क्रमांक एफ-07/53/2019/आ.क्र./एक/दिनांक 04 जनवरी, 2020)

सीधी भर्ती जेल प्रहरी (कार्यपालिक) कुल - 757

श्रेणी	कुल रिक्त	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		होमगार्ड		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
अनारक्षित	253	99	53	16	09	49	27	253
ई. डब्लू. एस	28	11	06	02	01	05	03	28
अ. जा	121	47	26	08	04	23	13	121
अ. ज. जाति	151	59	32	10	05	29	16	151
अपिव.	204	80	43	13	07	40	21	204
कुल:-	757	296	160	49	26	146	80	757

टीप :- प्रहरी पदों के लिए शारीरिक मापदण्ड संबंधी अर्हता निर्धारित है। अतः किसी भी प्रकार की विकलांगता के लिए पद आरक्षित नहीं है।

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार कुल **87** प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका

श्रेणी	कुल रिक्त	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		होमगार्ड		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
अनारक्षित	168	66	35	11	06	32	18	168
ई. डब्लू. एस	19	07	04	01	01	04	02	19
अ. जा	81	32	17	05	03	16	08	81
अ. ज. जाति	101	40	21	06	04	19	11	101
अपिव.	106	41	22	07	04	21	11	106
कुल:-	659	257	139	43	23	127	70	659

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका-कुल पद 98 (माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन)

श्रेणी	कुल रिक्त	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		होमगार्ड		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
अपिव(प्रावधिक)	98	39	21	06	03	19	10	98
अनारक्षित (काल्पनिक)	98	39	21	06	03	19	10	98

5. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता:- आवेदक को 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

6. शारीरिक मापदण्ड :-

मापदण्ड	ऊचाई	सीना बिना फुलाए
पुरुष अभ्यर्थी के लिए	165 से.मी.	83 से.मी.
महिला अभ्यर्थी के लिए	158 से.मी.	---
1. आवेदक की दोनों आखों की दृष्टि सामान्य होना चाहिए और उसे जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। 2. अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। 3. अभ्यर्थी में 'नाकनी/फ्लेटफुट' एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए तथा चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य (मेडिकलीफिट) होना आवश्यक है।		

नोट:-1.न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें।न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है।अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित नापजोख पूर्ण नहीं करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

2. प्रहरी पद हेतु भर्ती नियम में अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए, के कारण निःशक्तजन हेतु आरक्षण निर्धारित नहीं रहेगा।

7. आरक्षण:-

(1) (क) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) के उपबंधों एवं मध्यप्रदेश राजपत्र 530

दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत (वर्टिकल आरक्षण लागू होगा)

अनुसूचित जनजाति	-	20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	-	16 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग	-	27 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	-	10 प्रतिशत

परन्तु जिला स्तर के पदों पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

(ख) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 22 नवम्बर, 2019 द्वारा **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**(ई. डब्लू.एस.) के लिए 10 प्रतिशत **आरक्षण** का प्रावधान किया गया है।

(2) क्षैतिज आरक्षण: -

(क) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र.304 दिनांक 03 अक्टूबर 2023 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 में संशोधन अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों का पैंतीस प्रतिशत **महिलाओं के लिए** आरक्षित होगा तथा उक्त आरक्षण क्षैतिज और प्रभागवार (होरिजेंटल एण्ड कम्पार्टमेंटवाइज) होगा ।

(ख) मध्यप्रदेशशासन,सामान्य प्रशासन विभाग के जापन क्रमांक सी-3-04/2013/1/3-भोपाल दिनांक 14 अगस्त ,2014 द्वारा स्वयं सेवी **नगर सैनिकों** को जेल प्रहरी भर्ती में 30 प्रतिशत पद **आरक्षित** हैं। इस लाभ के लिए के लिए नगर सैनिक के रूप में ऑन लाईन आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम दिनांक तक तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिए।

(ग) सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल, के आदेश क्र. एफ 8/4/2001/आप्र/एक(पार्ट)भोपाल , दिनांक 03.07.2018 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकारी अ अधिनियम, 2016 की धारा 34 तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 12 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापन में सीधी भर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी की लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार किया गया है:-

दृष्टिबाधित और कमदृष्टि	1.5 प्रतिशत
बहरे और कम सुनने वाले,	1.5 प्रतिशत
लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त , बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	1.5 प्रतिशत
ऑटिज्म , बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	1.5 प्रतिशत

परन्तु यह आरक्षण संबंधित विभाग द्वारा निःशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाने और चिन्हित किए गए पदों के लिए दिया जाएगा।

टीप:- प्रहरी पदों के लिए शारीरिक मापदण्ड संबंधी अर्हता निर्धारित है। अतः किसी भी प्रकार की विकलांगता के लिए पद आरक्षित नहीं है।

(ग) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार क्रमशः तृतीय श्रेणी, के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होगा।

(1) समस्त प्रकार के आरक्षित प्रवर्गों की गणना तथा अध्यपेक्षा के प्रारूप में ऐसे आरक्षित पदों के ब्यौरों का उल्लेख करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग पर होगा। बोर्ड द्वारा पदों की गणना नहीं की जाएगी यदि गणना में कोई त्रुटि पाई जाती है तो बोर्ड इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

(2) उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट/ शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।

(3) प्रहरी भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व सीधी भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा।

8. नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में:-

I. पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को या तो:-

(क) भारत का नागरिक।

(ख) नेपाल का नागरिक हो सकता है।

(ग) यदि (ख) हो तो म.प्र. सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के लागू नियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है।

नोट:- किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्याधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा म.प्र.सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के अनुसार उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र अंततः जारी कर दिया गया हो।

II. ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित / निल / ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।

9. आयु सीमा में श्रेणीवार छूट विवरण:- (मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल परिपत्र क्रमांक सी3-14/2019/एक/3/दिनांक 19 दिसम्बर, 2019)

स.क्र.	आवेदक	श्रेणी	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
01	पुरुष	सामान्य / अनारक्षित	18 वर्ष	33 वर्ष
02	महिला आवेदक (अनारक्षितवर्ग)	पुरुष/महिला आवेदक (अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्यपिछड़ावर्ग/ प्रशासकीय/निगम/ मण्डल/ स्वशासीसंस्थाकेकर्मचारीतथानगरसैनिक)	18 वर्ष	33+5=वर्ष 38

नोट:- अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की, 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष से कम एवं 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के लिए आवश्यक वैध प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश शासन से मान्य/ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हुआ होना आवश्यक है।

- नोट:- सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक सी 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु-सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी।
10. **मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूट:-**
- I. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पुराना नाम आदिम जाति, हरिजन) एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के जापनक्रं. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जाएगी।
 - II. विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के जापन क्रं. सी-3-18-85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
11. **मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण:-**
- (क) ऐसे उम्मीदवार, जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।
- स्पष्टीकरण:- शब्द “छटनी” किए गए शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थाई सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया था।
- (ख) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
- स्पष्टीकरण:- शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की शिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो:-
- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउटकन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,
 - (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
 - (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
 - (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,
 - (3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी।
 - (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबंध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।
 - (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो।

- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिए गए हों।
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे।
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रमविभाग के जापन क्रं. 3345-4005-सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

टीप- (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छूटनी हो जाए तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जाएगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(2) यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयुसीमा में छूट के लाभ के लिए एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिए निर्धारित अधिकतम आयुसीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 38 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

12. आरक्षण से संबंधित स्पष्टीकरण:-

- (अ) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
- (ब) मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
- (स) होमगार्ड स्वयं सेवीनगर सैनिक को आरक्षण एवं आयुसीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए, नगर सेना की 03 वर्ष की सेवा काल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (द) महिला, होमगार्ड स्वयं सेवी नगर सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए होरीजेन्टल आरक्षण है। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिए आरक्षित पद कैरिफारवर्ड नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जाएंगे।
- (इ) ई-डब्ल्यू-एस के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोट:- परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व सीधी भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है, तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा।

13. **अभ्यर्थिता/चयन के संबंध में निर्हताएँ/जानकारी:**

1. पररूप धारण (इम्प्रसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो, कार्यवाई करने पर आवेदक परीक्षामें अयोग्य घोषित किए जाएंगे।
2. कोई भी उम्मीदवार जिस की दो से अधिक जीवित संतान हो, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह माना जाएगा परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान हो तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अनर्ह नहीं माना जाएगा।
3. कोई भी उम्मीदवार जिसे न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण हेतु दंडित किया गया हो तथा अपराध नैतिक अधोपतन(Moral turpitude)की श्रेणी का हो, अनर्ह होगा।
4. शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ आवेदक को अयोग्य माना जाएगा।
5. फर्जी दस्तावेज /दस्तावेज फेर बदल किया हो/ चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो सारभूत जानकारी छुपाई हो अन्य कोई विवाद की स्थिति में सेवा से पृथक किया जाएगा एवं कोई अपील मान्य नहीं होगी।
6. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र-सीक्र-सी-3-9/2016/1-3/दिनांक 10.10.2016 अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या के 15 प्रतिशत अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी जो कि परिणाम घोषित होने से एक वर्ष अथवा नवीन परीक्षा के परिणाम घोषित होने तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेगी। रिक्त रहे पदों की पूर्ति इस प्रतीक्षा सूची से की जा सकेगी।

14. **परीक्षा की योजना:-**

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त किए जाएंगे। ऑनलाईन आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी संबंधी आवश्यक निर्देश **अध्याय-3** में दिए गए हैं, जिसके अनुसार लिखित परीक्षा हेतु अंतरिम प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाइट WWW.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध होंगे।

15. **प्रथम चरण - लिखित परीक्षा:-**

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न 100 अंकों के (प्रत्येक प्रश्न 01 अंक) समयावधि दो घंटे का केवल एक प्रश्न-पत्र होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान के हाईस्कूल स्तर के प्रश्न सम्मिलित होंगे।

16. **प्रहरी पद हेतु लिखित परीक्षा की मेरिट सूची:-**

मंडल द्वारा लिखित परीक्षा के परीक्षा परिणाम की प्रवीणता के आधार पर दस गुना अभ्यर्थियों के रोल नंबर क्रम में सूची, आरक्षण संबंधी समस्त नियमों को ध्यान में रखते हुए **श्रेणीवार एवं संवर्गवार तैयार कर जेल मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।** उम्मीदवारों को परीक्षा परिणाम की जानकारी मंडल द्वारा वेबसाइट पर व समाचार पत्रों में तथा जेल मुख्यालय द्वारा व्यक्तिगत सूचना-पत्र जारी कर द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अवगत कराया जाएगा। परन्तु अंतिम परीक्षा परिणाम जारी होने के पूर्व किसी भी स्थिति में द्वितीय चरण के लिए सफल अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में प्राप्तियों की जानकारी अभ्यर्थियों, जेल मुख्यालय अथवा चयन प्रक्रिया से सम्बद्ध किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी।

प्रथम चरण की परीक्षा में प्रवीणता के आधार पर दस गुना अभ्यर्थियों की रोल नंबर के क्रम में द्वितीय चरण की परीक्षाओं शारीरिक नापजोख व प्रवीणता टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। श्रेणी अनुसार दस गुनी संख्या के अंतिम उम्मीदवार के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा का अवसर दिया जाएगा, भले ही कुल संख्या दसगुना से अधिक हो जाए। लिखित परीक्षा के पूर्व नापजोख नहीं कराया जाएगा।

17 **प्रहरी पद हेतु द्वितीय चरण - शारीरिक माप परीक्षण व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट:-**

प्रथम चरण में सफल घोषित उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जेल विभाग द्वारा निश्चित स्थान, तिथि एवं समय की सूचना डाक अथवा अन्य माध्यम से दी जाएगी। द्वितीय चरण के अंतर्गत बायोमेट्रिक सत्यापन शारीरिक माप परीक्षण व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट की कार्यवाही जेल मुख्यालय स्तर पर महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी विवाद की दशा में महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ का विनिश्चय मान्य होगा। निर्धारित बायोमेट्रिक सत्यापन न होने अथवा शारीरिक अर्हता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः निरस्त हो जाएगी।

18. **प्रहरी पद हेतु शारीरिक प्रवीणता टेस्ट :-**

समिति द्वारा शारीरिक नापजोख में उपयुक्त पाए गए उम्मीदवारों का शारीरिक प्रवीणता टेस्ट निम्नानुसार लिया जाएगा:-

परीक्षा	प्रहरी (पुरुष)	प्रहरी (महिला)	भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड
800 मीटर दौड़	2 मिनट 50 सेकण्ड	4 मिनट 00 सेकण्ड	3 मिनट 15 सेकण्ड
गोलाफेंक	20 फिट (गोले का वजन 7.260 किलोग्राम)	16 फिट (गोले का वजन 4.00 किलोग्राम)	15 फिट (गोले का वजन 7.260 किलोग्राम)

- यदि दौड़ में क्वालीफाई नहीं करता है, तो उसे गोला फेंक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। गोला फेंक में अधिकतम तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे।
- शारीरिक प्रवीणता परीक्षा केवल क्वालीफाइंग स्वरूप की होगी। इस में कोई पूर्णांक-प्राप्तांक नहीं होंगे। परीक्षा परिणाम से उम्मीदवार को तुरंत मौके पर ही अवगत करा दिया जाएगा।
- शारीरिक नापजोख एवं प्रवीणता परीक्षा का विडियो रिकार्ड किया जाएगा। अपने नापजोख/प्रदर्शन/मूल्यांकन से असंतुष्ट रहने पर चयन समिति के समक्ष तत्काल अपील की जाएगी, जो उसका विडियो कवरेज देखकर निराकरण करेगी। किसी भी स्थिति में उम्मीदवार को दूसरी बार अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।
- शारीरिक प्रवीणता टेस्ट हेतु उम्मीदवार को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी एवं न ही उक्त के लिये किसी प्रकार का चिकित्सीय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा।

19. **प्रहरी पद हेतु चयन सूची:-**

जेल मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा द्वितीय चरण में शारीरिक नापजोख व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट की कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत इसमें सफल उम्मीदवारों की सूची कर्मचारी चयन मंडल को उपलब्ध कराई जाएगी। शारीरिक नापजोख व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों की जेल मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूची के आधार पर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य / प्रतीक्षा सूची म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा जारी की जाएगी।

20. **पारस्परिक वरीयता:-**

अंतिम प्रावीण्य सूची तैयार करते समय लिखित परीक्षा में समान परसेंटाईल प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरीष्ठता ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर निर्धारित की जावेगी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी सहवरीष्ठता निर्धारित की जावेगी। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तिम CUT-OFF मार्क पर समान अंक /परसेंटाईल प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

21 नियुक्ति:-

1. चयनित उम्मीदवारों के संबंध में चरित्र सत्यापन कराया जाएगा तथा केवल 'अनुकूल' चरित्र पाए जाने वाले, चयन सूची में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों के विषय में ही नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण भी कराया जाएगा। नियुक्ति के लिए पात्रता हेतु उम्मीदवार का 'मेडिकली फिट' होना भी अनिवार्य है।
2. उम्मीदवारों को चरित्र सत्यापन फार्म में पूरी एवं सही-सही जानकारी भरना चाहिए, कोई झूठी जानकारी, अधूरी जानकारी, अर्ध सत्य जानकारी नहीं देना चाहिए। कोई जानकारी छिपाना भी नहीं चाहिए। विशेषकर चरित्र सत्यापन फार्म के कालम नम्बर 12 में सही सही जानकारी भरना आवश्यक है। अब मध्यप्रदेश शासन के चरित्र सत्यापन संबंधी नए दिशा निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन के संबंध में इस आशय का शपथ पत्र देना आवश्यक है जिसमें आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उनके द्वारा उसके पूर्ववत के अन्तर्गत दिए गए विवरणों में उसने किसी तथ्य को जानबूझकर जानते हुए नहीं छिपाया है।
3. नियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को तीन वर्ष की परीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा एवं निर्धारित प्रशिक्षण पर भेजा जाएगा।
4. नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों को प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने के लिए प्रयोजनार्थ की जाने वाली यात्रा का किराया तथा भत्ता नहीं दिया जाएगा। प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने पर प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा जिसमें उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होना आवश्यक होगा। केवल योग्य पाये उम्मीदवारों को ही नियुक्ति दी जाएगी, अयोग्य उम्मीदवारों को वापस भेज दिया जाएगा।
5. मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के जापन क्रमांक 2011/604/2018/तीन/ जेल/दिनांक 25 सितम्बर, 2018 के अनुसार सेवाबॉण्ड (करारनामा) निष्पादित किया जाना होगा।

22 प्रशिक्षण:-

1. प्रहरी के पद पर नियुक्ति उपरान्त निर्धारित अवधि में निर्धारित मानक स्तर से प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण सत्र प्रारम्भ होने की सूचना चयनित उम्मीदवारों को पृथक से भेजी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को विहित की गई अंतिम तारीख को या उसके पूर्व उपस्थित होना होगा। यदि अभ्यर्थी, नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना निश्चित समयावधि में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, तो उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जाएगा।
2. प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न शारीरिक तथा बौद्धिक प्रशिक्षण, अस्त्र-शस्त्र संचालन आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें किसी वजह से कोई क्षति होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा, प्रशिक्षण लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

23 विभाग द्वारा परीक्षण किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण:-

जेल विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित मूलदस्तावेज (डाक्यूमेन्ट) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा:-

1. जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल या इण्टरमीडियेट (10+2) की प्रमाणित अंकसूची जिसमें जन्मतिथि लिखी हो।
2. शैक्षणिक व अन्य योग्यता के प्रमाणपत्र (डिग्री या सर्टिफिकेट की फोटो प्रति)।
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैरक्रीमीलयर) के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का

नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि इस में सुस्पष्ट होना चाहिए। प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस विज्ञापन के साथ भी प्रकाशित किए जा रहे हैं।

4. होमगार्ड स्वयं सेवी नगर सैनिक को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए, नगर सेना की 03वर्ष की सेवाकाल का प्रमाण पत्र।
5. भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 'सेना' की सेवा का प्रमाण पत्र।
6. पुलिस कर्मियों के प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश पुलिस सेवा में होने का प्रमाण पत्र।
7. नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र (केवल पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिए)।
8. विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु-सीमा में छूट हेतु मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
9. विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र।
10. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ई.डब्ल्यू.एस.का प्रमाण-पत्र।
11. मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का प्रमाण-पत्र।
12. अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
13. स्थायी मूल निवासी प्रमाण-पत्र (तहसीलदार / नायब तहसीलदार स्तर से नीचे का न हो।

नोट- दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति तथा मूलदस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जाएगा। उपरोक्त उल्लेखित दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज विभाग के चाहने पर प्रस्तुत करना होगा।

24 यात्रा किराया:-

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्र.एफ-4-3/2018/नियम/चार, दिनांक 10.01.2019 अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार जेल मुख्यालय द्वारा आरक्षित श्रेणी के योग्य उम्मीदवारों को शारीरिक नापजोख व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट अथवा साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता राशि की प्रतिपूर्ति नियमानुसार की जाएगी।

25 सामान्य निर्देश :-

1. चयन सूची जारी होने से पहले या बाद में किसी स्तर पर यदि जेल विभाग, मध्यप्रदेश के संज्ञान में कोई कम्प्यूटर / लिपिकीय त्रुटि आती है तो जेल मुख्यालय, भोपाल को उसे सुधारने का अधिकार होगा।
2. विज्ञापित पदों की संख्या में जेल मुख्यालय भोपाल द्वारा कमी या वृद्धि की जा सकती है, परिवर्तन की स्थिति में न तो अलग से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और न ही अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए पहले से भरे हुए आवेदनों में संशोधन मांगा जाएगा।
3. यदि कोई आवेदक चयन सूची जारी होने से पहले या बाद में किसी भी स्तर पर अपात्र पाया जाता है या यदि उसके द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो उसकी उम्मीदवारी/ चयन रद्द किया जा सकता है।

अति.जेल महानिरीक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

अध्याय - 2 'ब'

मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के अंतर्गत सहायक जेल अधीक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2026 के विभागीय नियम

म.प्र. शासन, जेल विभाग के अंतर्गत सहायक जेल अधीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2026 के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों पर यह नियम लागू होंगे। पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

1. परिभाषाएँ:-

1.1 "आरक्षण" से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।

1.2 "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

1.3 "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

1.4 "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85/पच्चीस/484 दिनांक 26 दिसंबर, 1984 में यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

1.5 "उभयलिंगी" से अभिप्रेत है सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्रमांक सी-3-02/2022/3/1 भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 के अनुसार परिभाषित उभयलिंगी होने का प्रमाण पत्र जैसा कि जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उल्लेखित है। यदि प्रमाण पत्र में पुरुष का उल्लेख किया गया है तब पुरुष उम्मीदवार के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे और यदि महिला का उल्लेख किया गया है तब महिला उम्मीदवार के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

1.6 "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-07/11/2019/आ.प्र./एक भोपाल 2 जुलाई 2019 में यथा विनिर्दिष्ट किया गया है।

1.7 "विभाग" से अभिप्रेत है जेल विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है।

1.8 "प्रथम चरण" से अभिप्रेत है- मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा।

1.9 "द्वितीय चरण" से अभिप्रेत है-प्रथम चरण ऑनलाईन परीक्षा के बाद जेल विभाग द्वारा आयोजित शारीरिक दक्षता प्रवीणता टेस्ट।

1.10 "म.प्र." से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य से है।

2. सामान्य:-

2.1 अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

2.2 सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्र. सी-3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

2.3 शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके बाद हुआ है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद प्रसव में 2 या अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो , उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा।

2.4 चयन के लिए उपस्थित होने के लिए शासकीय अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी, कार्यभार ग्रहण करते समय नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत करनी होगी।

2.5 शासकीय/अर्ध-शासकीय या भूतपूर्व , होमगार्ड के मामले में अनुशासनिक आधार पर अयोग्य या सेवा से हटाए गए अभ्यर्थी को भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।

2.6 प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु-सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी।

2.7 नियुक्ति आदेश में निर्धारित दिनांक को समय पर उपस्थित नहीं होने वाले चयनित अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची से हटा दिए जाएंगे और उनका नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा, इस संबंध में चिकित्सा प्रमाण-पत्र या अन्य आधार स्वीकार्य नहीं होगा जब-तक कि सक्षम प्राधिकारी के लिखित आदेश द्वारा उपस्थित होने की तिथि पहले विशेष रूप से अनुमति न दे दी जाए।

2.8 शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता-

- (1) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/प्रशा.॥क्षे.स्था.2/788 भोपाल दिनांक 25.02.2026 के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल दिनांक 22 फरवरी, 2022 के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 14/04/1972 एवं मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल दिनांक 06 अप्रैल , 2023 के निर्देश के विभिन्न वर्गों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्रम एवं इनके साथ ही ज्ञाप क्रमांक 172/2184/1/3/दिनांक 27 फरवरी, 1982 के द्वारा जनगणना 1981 अतिशेष एवं ज्ञाप क्रमांक एफ सी-3-31-90-49-3 दिनांक 19 सितंबर, 1990 निर्वाचन अतिशेष कर्मचारियों की प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

1	हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को	ए-2
2	भूतपूर्व सैनिकों (Demobilised Defence forces personal-Ex Servicemen-other ranks) को	ए-3
3	निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी	बी
4	अतिशेष कर्मचारियों को	बी
5	जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी	बी-1
6	कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को	बी-2
7	राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC) के उम्मीदवारों का जिनके पास "सी" प्रमाण पत्र	सी-1
8	वर्मा एवं सिलोन से आये हुए भारतीय नागरिकों को	सी-2

- (2) कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गों की सूची में राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्यरत सेक्शन राईटर्स को सम्मिलित किया जाता है।
- (3) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के असाधारण राजपत्र क्रमांक सी.सी. 3-10/2013/1/3 दिनांक 04 अक्टूबर 2013 से राज्य शासन अंतर्गत स्वीकृत सभी कनिष्ठ पदों पर चयन म.प्र.कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम 2013 के अंतर्गत मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाना नियत किया गया है।
- (4) कंडिका 2 में उल्लेखित परीक्षा की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता दिए जाने के विषय में अब राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि -
- (अ) कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु-सीमा 55 वर्ष निर्धारित की जाती है।
- (ब) कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्रातांक में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक प्रदान किए जायेंगे।

3. **पदनाम, वेतनमान तथा शैक्षणिक योग्यता :-**

सीधी भर्ती के पदों का वर्गवार विवरण

- (01) **पदनाम :-** सहायक जेल अधीक्षक (कार्यपालिक) - (25 पद) वेतनमान रुपये 36200-114800 (लेवल-9) (म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक सी. 3-13/2019/ 3/एक/दिनांक 12 सितम्बर, 2019 के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टायपेंड देय होगा, दिये गये वेतनमान के अलावा समय समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता तथा परिलब्धियाँ देय होंगी, म.प्र.शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्र.एफ-9/3/2003/नियम-4 दिनांक 13.04.2025 एवं क्र.एफ-9/डी/2003 नियम-4 दिनांक 02.07.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गयी है ।

4. **आरक्षण तालिका :-**

भरे जाने वाले उपर्युक्त पदों की संख्या का विवरण :- (म.प्र. शासन, सा.प्र.वि. के ज्ञापन क्रमांक एफ-07/ 53/ 2019/ आ. क्र. / एक/ दिनांक 04 जनवरी, 2020)

सहायक जेल अधीक्षक कुल - 25

श्रेणी	कुल रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित		भूतपूर्व सैनिक (10%)		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
अनारक्षित (UR)	08	05	02	01	00	08
ई.डब्ल्यू.एस.	02	02	00	00	00	02
अनु. जाति (SC)	05	03	02	00	00	05
अनु. ज. जाति (ST)	08	05	02	01	00	08
अ. पि. वर्ग (OBC)	02	02	00	00	00	02
योग :-	25	17	06	02	00	25

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका

श्रेणी	कुल रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित		भूतपूर्व सैनिक (10%)		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
अनारक्षित (UR)	08	05	02	01	00	08
ई.डब्ल्यू.एस.	02	02	00	00	00	02
अनु. जाति (SC)	05	03	02	00	00	05
अनु. ज. जाति (ST)	08	05	02	01	00	08
अ. पि. वर्ग (OBC)	01	01	00	00	00	01
योग :-	24	16	06	02	00	24

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका- (माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन)

श्रेणी	कुल रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित		भूतपूर्व सैनिक (10%)		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
अपिव(प्रावधिक)	01	01	00	00	00	01
अनारक्षित(काल्पनिक)	01	01	00	00	00	01

5. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :-

आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए ।

6. शारीरिक मापदण्ड :-

मापदण्ड	ऊंचाई	सीना बिना फुलाए	सीना फुलाने के पश्चात
पुरुष अभ्यर्थी के लिए	168 से. मी.	84 से. मी.	89 से. मी.
महिला अभ्यर्थी के लिए	155 से. मी.	--	--
1. आवेदक की दोनों आँखों की दृष्टि सामान्य होना चाहिए और उसे जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए । 2. अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए । 3. अभ्यर्थी में ' नॉकनी/फ्लेट फुट ' एवं कोई दृष्टिदोष नहीं होना चाहिए तथा चिकित्सीय दृष्टि से योग्य (मेडिकली फिट) होना आवश्यक है ।			

नोट :- 1. न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें । न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित नापजोख पूर्ण नहीं करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी ।

2. सहायक जेल अधीक्षक निःशक्तजन हेतु आरक्षण निर्धारित नहीं रहेगा ।

7. आरक्षण:-

1-(क) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) के उपबंधों एवं मध्यप्रदेश राजपत्र 530

दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत (वर्टिकल आरक्षण लागू होगा)

अनुसूचित जनजाति	-	20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	-	16 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग	-	27 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	-	10 प्रतिशत

परन्तु जिला स्तर के पदों पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

(ख) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 22 नवम्बर, 2019 द्वारा **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**(ई. डब्लू.एस.) के लिए 10 प्रतिशत **आरक्षण** का प्रावधान किया गया है।

2- क्षैतिज आरक्षण: -

(क) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र.304 दिनांक 03 अक्टूबर 2023 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 में संशोधन अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों का पैंतीस प्रतिशत **महिलाओं के लिए** आरक्षित होगा तथा उक्त आरक्षण क्षैतिज और प्रभागवार (होरिजेंटल एण्ड कम्पार्टमेंटवाइज) होगा ।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल, के आदेश क्र. एफ 8/4/2001/आप्र/एक(पार्ट)भोपाल , दिनांक 03.07.2018 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकारी अ अधिनियम, 2016 की धारा 34 तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 12 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापन में सीधी भर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी की लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार किया गया है:-

1	दृष्टिबाधित और कमदृष्टि	1.5 प्रतिशत
2	बहरे और कम सुनने वाले,	1.5 प्रतिशत
3	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	1.5 प्रतिशत
4	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	1.5 प्रतिशत

परन्तु यह आरक्षण संबंधित विभाग द्वारा निःशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाने और चिन्हित किए गए पदों के लिए दिया जाएगा।

टीप:- सहायक जेल अधीक्षक पदों के लिए शारीरिक मापदण्ड संबंधी अर्हता निर्धारित है। अतः किसी भी प्रकार की विकलांगता के लिए पद आरक्षित नहीं है।

(ग) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार क्रमशः तृतीय श्रेणी, के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होगा ।

(1) समस्त प्रकार के आरक्षित प्रवर्गों की गणना तथा अध्यपेक्षा के प्रारूप में ऐसे आरक्षित पदों के ब्यौरों का उल्लेख करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग पर होगा। बोर्ड द्वारा पदों की गणना नहीं की जाएगी यदि गणना में कोई त्रुटि पाई जाती है तो बोर्ड इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

- (2) उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट/ शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।
- (3) सहायक जेल अधीक्षक भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व सीधी भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा।

8. **नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में:-**

1. पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को या तो:-

(क) भारत का नागरिक ।

(ख) नेपाल का नागरिक हो सकता है।

(ग) यदि (ख) हो तो म.प्र.; सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के लागू नियम

के अंतर्गत प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है।

नोट:- किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्याधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा म.प्र. सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के अनुसार उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र अंततः जारी कर दिया गया हो।

2. ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/निल/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।

9. **आयु सीमा में श्रेणीवार छूट विवरण :-** (म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय

भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी 3-14/2019/ एक/ 3/ दिनांक 19 दिसम्बर, 2019)

स. क्र.	आवेदक	श्रेणी	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
01	पुरुष	सामान्य / अनारक्षित	21 वर्ष	33 वर्ष
02	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) पुरुष/महिला आवेदक (अनु. जा. /अनु. ज. जा. /अन्य पिछड़ा वर्ग/ प्रशासकीय/निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)		21 वर्ष	33+5=वर्ष 38

नोट:- (1) अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की, 01 जनवरी 2026 को 21 वर्ष से कम एवं 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(2) सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।

10. **मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूट :-**

(क) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ख) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-18-85-3-1, दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जाएगी।

11. मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों को आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :-

(क) ऐसे उम्मीदवार को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:- शब्द 'छटनी' किए गए शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थाई सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरंतर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किए जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

(ख) ऐसे उम्मीदवार को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:- शब्द 'भूतपूर्व सैनिक' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरंतर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकार सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक संख्या में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :-

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो।
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
 - (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
 - (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,
- (3) मद्रास सिविल यूनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी।
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबंध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।
- (5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो।

- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिए गए हों।
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे।
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से पृथक कर दिया गया हो।

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्र. 3345-4405-सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 01.01.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निमुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

टीप :- (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग-पत्र दे दें तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छूटनी हो जाए तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जाएगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(2) यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिए एक से अधिक आधार रखता है तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 38 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

12. आरक्षण से संबंधित स्पष्टीकरण :-

- (अ) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
- (ब) मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
- (स) महिला एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए होरिजेंटल आरक्षण है। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिए आरक्षित पद कैरिफारवर्ड नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जाएंगे।

(द) ई.डब्ल्यू.एस.के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. **अभ्यर्थिता/ चयन के संबंध में निर्दिष्ट/ जानकारी :-**

1. पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो, कार्रवाई करने पर आवेदक परीक्षा में अयोग्य घोषित किए जाएंगे।
2. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह माना जाएगा परन्तु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान हो तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म हो लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अनर्ह नहीं माना जाएगा।
3. कोई भी उम्मीदवार जिसे न्यायालय द्वारा अपराधिक प्रकरण हेतु दंडित किया गया हो तथा अपराध नैतिक अद्योपतन (Moral turpitude) की श्रेणी का हो, अनर्ह होगा।
4. शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ आवेदक को अयोग्य माना जाएगा।
5. फर्जी दस्तावेज/ दस्तावेज फेरबदल किया हो/ चयन के स्तर पर जानकारी छिपाई हो/ सारभूत जानकारी छिपाई हो अन्य कोई विवाद की स्थिति में सेवा से पृथक किया जाएगा एवं कोई अपील मान्य नहीं होगी।

14. **परीक्षा की योजना :-**

म.प्र.कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। ऑनलाईन आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी संबंधी आवश्यक निर्देश अध्याय-3 में दिए गए हैं, जिसके अनुसार लिखित परीक्षा हेतु अंतरिम प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध होंगे।

15. **प्रथम चरण - लिखित परीक्षा :-**

म.प्र.कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न 100 अंको के (प्रत्येक प्रश्न 01 अंक) समयावधि 2.00 घंटे का केवल एक प्रश्न-पत्र होगा जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान के स्नातक स्तर के प्रश्न सम्मिलित होंगे।

16. **सहायक जेल अधीक्षक पद हेतु लिखित परीक्षा की मेरिट सूची :-**

बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के परिणाम की प्रवीणता के आधार पर दस गुना अभ्यर्थियों के रोल नम्बर क्रम में सूची, आरक्षण संबंधी समस्त नियमों को ध्यान में रखते हुए श्रेणीवार एवं संवर्गवार तैयार कर जेल मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवारों को परीक्षा परिणाम की जानकारी बोर्ड द्वारा वेबसाइट पर व समाचार पत्रों में तथा जेल मुख्यालय द्वारा व्यक्तिगत सूचना-पत्र जारी कर द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अवगत कराया जाएगा। परन्तु अंतिम परीक्षा परिणाम जारी होने के पूर्व किसी भी स्थिति में द्वितीय चरण के लिए सफल अभ्यर्थियों के

लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की जानकारी अभ्यर्थियों, जेल मुख्यालय अथवा चयन प्रक्रिया से सम्बद्ध किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी ।

प्रथम चरण की परीक्षा में प्रवीणता के आधार पर दस गुना अभ्यर्थियों की रोल नंबर के क्रम में द्वितीय चरण की परीक्षाओं शारीरिक नापजोख व प्रवीणता टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। श्रेणी अनुसार दस गुनी संख्या के अंतिम उम्मीदवार के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा का अवसर दिया जाएगा, भले ही कुल संख्या दस गुना से अधिक हो जाए । लिखित परीक्षा के पूर्व नाप जोख नहीं कराया जाएगा।

17. **सहायक जेल अधीक्षक पद हेतु द्वितीय चरण-** शारीरिक नापजोख व परीक्षण व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट :-

प्रथम चरण में सफल उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जेल विभाग द्वारा निश्चित स्थान, तिथि एवं समय की सूचना डाक अथवा अन्य माध्यम से दी जाएगी । द्वितीय चरण के अंतर्गत बायोमेट्रिक सत्यापन शारीरिक नापजोख परीक्षण व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट की कार्यवाही जेल मुख्यालय स्तर पर महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी विवाद की दशा में महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं का विनिश्चित मान्य होगा । निर्धारित बायोमेट्रिक सत्यापन न होने अथवा शारीरिक अर्हता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः निरस्त हो जाएगी ।

18. **सहायक जेल अधीक्षक पद हेतु शारीरिक प्रवीणता टेस्ट :-**

समिति द्वारा शारीरिक नापजोख में उपयुक्त पाए गए उम्मीदवारों का शारीरिक प्रवीणता टेस्ट निम्नानुसार लिया जाएगा :-

- (1) 800 मीटर दौड़

स.क्र.	अभ्यर्थी	800 मीटर दौड़ की अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम समय
01	पुरुष	02 मिनट 40 सेकेंड (एक अवसर)
02	महिला	03 मिनट 40 सेकेंड (एक अवसर)
03	भूतपूर्व सैनिक	03 मिनट 15 सेकेंड (एक अवसर)

- (2) लंबी कूद

स.क्र.	अभ्यर्थी	लंबी कूद में अर्हता होने के लिए न्यूनतम दूरी
01	पुरुष	13 फीट (तीन अवसर)
02	महिला	10 फीट (तीन अवसर)
03	भूतपूर्व सैनिक	10 फीट (तीन अवसर)

- (3) गोला फेक

स.क्र.	अभ्यर्थी	गोला फेक में अर्हता होने के लिए न्यूनतम दूरी
01	पुरुष	19 फीट (गोले का वजन 7.260 किग्रा.) (तीन अवसर)
02	महिला	15 फीट (गोले का वजन 4.000 किग्रा.) (तीन अवसर)
03	भूतपूर्व सैनिक	15 फीट (गोले का वजन 7.260 किग्रा.) (तीन अवसर)

1. यदि दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे लम्बी कूद में भाग लेने नहीं दिया जावेगा ।
 2. यदि लम्बी कूद में क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे गोला फेंक में भाग लेने नहीं दिया जावेगा
 3. गोलाफेंक क्वालिफाई करने के लिए अभ्यर्थी को अधिकतम 03 अवसर दिये जायेंगे ।
 4. शारीरिक प्रवीणता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग स्वरूप की होगी । इसमें कोई पूर्णांक- प्राप्तांक नहीं होंगे। परीक्षा परिणाम से उम्मीदवार को तुरन्त मौके पर ही अवगत करा दिया जाएगा ।
 5. शारीरिक प्रवीणता परीक्षा की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी । अपने प्रदर्शन/ मूल्यांकन से असंतुष्ट रहने पर चयन समिति के समक्ष तत्काल अपील की जाएगी, जो उसका वीडियो रिकार्डिंग देखकर निराकरण करेगी। किसी भी स्थिति में उम्मीदवार को दूसरी बार अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा ।
19. **सहायक जेल अधीक्षक पद हेतु चयन सूची :-**
जेल मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा द्वितीय चरण में शारीरिक नापजोख व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट की कार्रवाई सम्पन्न करने के उपरांत इसमें सफल उम्मीदवारों की सूची मण्डल को उपलब्ध कराई जाएगी। शारीरिक नापजोख व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीण्य/ प्रतीक्षा सूची म. प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा जारी की जाएगी ।
20. **पारस्परिक वरीयता :-**
अंतिम प्रावीण्य सूची तैयार करते समय लिखित परीक्षा में समान परसेंटाईल प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवर्षिता ऑनलाईन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर निर्धारित की जावेगी। ऑनलाईन लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी सह-वर्षिता निर्धारित की जावेगी। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तिम CUT-OFF मार्क पर समान अंक/परसेंटाईल प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।
21. **नियुक्ति :-**
चयनित उम्मीदवारों के संबंध में चरित्र सत्यापन कराया जाएगा तथा केवल 'अनुकूल' चरित्र पाए जाने वाले, चयन सूची में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों के विषय में ही नियुक्ति पर विचार किया जाएगा । उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण भी कराया जाएगा । नियुक्ति के लिए पात्रता हेतु उम्मीदवार का 'मेडिकली फिट' होना भी अनिवार्य है।
उम्मीदवारों को चरित्र सत्यापन फार्म में पूरी एवं सही-सही जानकारी भरना चाहिए, कोई झूठी जानकारी, अधूरी जानकारी, अर्धसत्य जानकारी नहीं देना चाहिए । कोई जानकारी छिपाना नहीं चाहिए । विशेष कर चरित्र सत्यापन फार्म के कालम क्र. 12 में सही जानकारी भरना आवश्यक है। अब म. प्र. शासन के चरित्र सत्यापन संबंधी नए दिशा निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन के संबंध में इस आशय का शपथ पत्र देना आवश्यक है जिसमें अपराधिक प्रकरणों के संबंध में उनके द्वारा उसके पूर्ववर्त के अंतर्गत दिए गए विवरणों में उसने किसी तथ्य को जानबूझकर जानते हुए नहीं छिपाया है।
1. नियुक्ति के उपरांत प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को तीन वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा एवं निर्धारित प्रशिक्षण पर भेजा जाएगा ।
 2. नियुक्ति के लिए चुने गये उम्मीदवारों को प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने के लिए प्रयोजनार्थ की जाने वाली यात्रा का किराया तथा भत्ता नहीं दिया जाएगा । प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने पर प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा जिसमें उसे पूर्ण रूप से

स्वस्थ होना आवश्यक होगा।केवल योग्य पाये उम्मीदवारों को ही नियुक्ति दी जाएगी, अयोग्य उम्मीदवारों को वापस भेज दिया जाएगा ।

3. म. प्र. शासन, जेल विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2011/ 604/ 2018/ तीन/ जेल/ दिनांक 25 सितम्बर 2018 के अनुसार सेवाबॉण्ड (करारनामा) निष्पादित किया जाना होगा ।

22. **प्रशिक्षण :-**

सहायक जेल अधीक्षक के पद पर नियुक्ति उपरांत निर्धारित अवधि में निर्धारित मानक स्तर से प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण सत्र प्रारम्भ होने की सूचना चयनित उम्मीदवारों को पृथक से भेजी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को विहित की गई अंतिम तारीख को या उससे पूर्व उपस्थित होना होगा। यदि अभ्यर्थी नियुक्तिकर्ता अधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना निश्चित समयावधि में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, तो उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा।

23. **विभाग द्वारा परीक्षण किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-**

जेल विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल दस्तावेज (डोक्यूमेंट) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा :-

- (1) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इण्टरमीडियेट (10+2) की प्रमाणित अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो ।
- (2) शैक्षणिक व अन्य योग्यता के प्रमाण-पत्र (डिग्री या सर्टिफिकेट की फोटोप्रति)।
- (3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलयर) के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यदि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिए । प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस विज्ञापन के साथ भी प्रकाशित किए जा रहे हैं।
- (4) होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए नगर सेना की 03 वर्ष की सेवाकाल का प्रमाण-पत्र ।
- (5) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 'सेना' की सेवा का प्रमाण-पत्र।
- (6) पुलिस कर्मियों के प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश पुलिस सेवा में होने का प्रमाण-पत्र ।
- (7) नियोजक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (केवल पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिए)।

नोट :-दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्वयं के द्वारा प्रमाणित फोटोप्रति तथा मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जाएगा। उपरोक्त उल्लेखित दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज विभाग के चाहने पर प्रस्तुत करना होगा ।

24. **यात्रा किराया :-**

जेल मुख्यालय द्वारा आरक्षित श्रेणी के योग्य उम्मीदवारों को शारीरिक नापजोख व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट के लिए उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता राशि की प्रतिपूर्ति नियमानुसार की जायेगी ।

अति.जेल महानिरीक्षक

मध्यप्रदेश,भोपाल

- 3.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभाँति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।
- (ii) आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016 के की कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार भर्ती परीक्षा के पद संख्या एवं विभागों के नाम घटाये-बढ़ाये जा सकेंगे।
- (iii) अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिह्नित कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- (iv) समूह परीक्षा में विज्ञापित किए पदों के संबंध में आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक अर्हता एवं पात्रता के अनुसार उपलब्ध समस्त पदों हेतु विकल्प/प्राथमिकताक्रम अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना होगा। सभी पदों पर प्राथमिकताओं को दर्ज नहीं करने की स्थिति में अधिक अंक प्राप्त करने पर भी अभ्यर्थी को उन पदों के परिणाम में विचार नहीं किया जायेगा, जिनको अभ्यर्थी द्वारा प्राथमिकताक्रम में विकल्प के रूप में चयन नहीं किया गया है।
- (v) ऐसी पद तालिका, जिनमें Category/X/Open में पद विज्ञापित नहीं है। परन्तु प्रवर्ग यथा भूतपूर्व सैनिक, संविदाकर्मों में पद विज्ञापित है, ऐसे विज्ञापित पदों पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में कन्वर्जन का नियम लागू करना संभव नहीं हो सकेगा।
- 3.2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये।
- (ii) आवेदन पत्र भरने की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) परीक्षाओं की गोपनीयता, शुचिता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये आवेदन-पत्र में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक प्रश्न-पत्रों के विकल्प को चुनता है, तो उस अभ्यर्थी को सभी चुने गये प्रश्न-पत्रों के लिये संबंधित योग्यता का प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।

- (iv) किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा उक्त अपलोड किये गये प्रमाण-पत्र का बोर्ड स्तर से केवल परीक्षा आयोजन के उद्देश्य से परीक्षण किया जा सकता है एवं कोई भी गलत जानकारी दिये जाने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थियों परीक्षा में निरस्त की जा सकती है एवं बोर्ड के पास वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकारी सुरक्षित रहेगा ।
- (v) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।
- (vi) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
- (vii) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।
- (viii) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

3.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

- (i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- (ii) बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु ।)
- (iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग

लायसेंस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ, तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। ई आधार मान्य नहीं है।

- 3.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales, Sun glasses and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

3.5 लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ. प्र. /एक, दिनांक 08.09.2011 एवं पी ई बी के आदेश क्रमांक पी ई बी./ प-1/712/2020 भोपाल, दिनांक 05/02/2020 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधा प्रदान की जावेगी ।

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदानकी जावेगी । किन्तु दृष्टिबाधित द्वियांग अभ्यर्थियों को सहायक एवं पुतिपूरक समय दोनों की सुविधा प्रदान की जावेगी । सहायक अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनों (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु) की सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ पत्र सहित ई.एस.बी. कार्यालय को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनांक से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ताकि ई.एस.बी. स्तर पर निम्नानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके । अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी ।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्त :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अहर्ता/ प्रश्न पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए । उदाहरण के लिए यदि परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकेन्ड्री होना चाहिए ।

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्त :-

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट

2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(iii) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा ।

3.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र ई.एस.बी. की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन हेतु निर्धारित समयावधि के उपरांत आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं किया जायेगा साथ ही इस आशय हेतु प्रेषित किये जाने वाले पत्र का उत्तर न प्रेषित करते हुए उन्हें नस्तीबद्व किये जायेगे ।

3.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

(i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) ई.एस.बी. की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

(ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि (बाल पाईट पेन से) अंकित करना होगी।

(iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

3.8 मूल्यांकन पद्धति :-

(i) प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा एवं गलत उत्तर अंकित करने पर कुल प्राप्तांक में से प्रत्येक गलत उत्तर के 0.25 अंक घटाए जायेंगे।

(ii) परीक्षा में सही प्रश्नों की संख्या (RAW Score) प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की संख्या एवं पासवर्ड को कम्प्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का प्रावधान होगा । अभ्यर्थी द्वारा अंकित सही प्रश्नों की संख्या (RAW Score) एवं प्रदर्शित RAW Score समान होने पर ही 'सबमिट' किया जा सकेगा ।

3.8 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती हैं तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

(A) निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- (i) प्रश्न की संरचना गलत हो।
 - (ii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
 - (iii) कोई भी विकल्प सही न हो।
 - (iv) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
 - (v) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
 - (vi) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।
 - (vii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में ई.एस.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।
- (B) हिन्दी तथा अंग्रेजी पाठ में समानता नहीं है (समस्त प्रश्न पत्रों के लिए हिन्दी पाठ को मानक माना जाएगा । सिवाय विज्ञान तथा तकनीकी विषयों के प्रश्न पत्र, जहां पर अंग्रेजी पाठ को मानक माना जाएगा) ।
- (C) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है । भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हा या नहीं ।

उदाहरण 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$90 \times 100$$

$$\text{—} = 91.83$$

$$(100 - 2)$$

उदाहरण 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$140 \times 150$$

$$\text{—} = 141.89$$

$$(150 - 2)$$

उदाहरण 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$190 \times 200$$

$$\frac{190}{200} = 191.91$$

$$(200 - 2)$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी।

(आदेश क्र. ई.एस.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

3.8 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मलाइजेशन पद्धति :-

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के आदेश क्र. ईएसबी/29/16/2021/ई-1/1040/2025, दिनांक 13/02/2025 के अनुसार मंडल द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है, उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मलाइजेशन पद्धति से तैयार किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है :-

- ऐसी परीक्षा जिनका आयोजन एक चरण में तथा एक से अधिक पालियों में किया जाता है अथवा ऐसे पद/पाठ्यक्रम जिनमें एक से अधिक विषय के प्रश्न-पत्र देने वाले आवेदक पात्र होते हैं।
- ऐसी परीक्षाएँ जिनका आयोजन बहुचरण में जैसे कि Police Constable Recruitment Test में प्रथम चरण में ई.एस.बी. द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन एवं संबंधित विभाग द्वारा भौतिक परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन किया जाता है।

उपरोक्त दोनों प्रकार की परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने हेतु मंडल के आदेश क्र. 11-80/2013/08/पी-2/625/2025, दिनांक 24/01/2025 से गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार Normalised Equi-Percentile (NEP) scaling technique एवं निम्न सूत्रों से परीक्षा परिणाम तैयार किये जायेंगे :-

(a) एक चरणीय (Single-stage) परीक्षा हेतु निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा :-

$$P_{ij} = \frac{\text{No. of candidates in shift (j) having proportionate scores} \leq X_{ij}}{N_j} \times 100$$

- shifts be denoted as $S_1, S_2, \dots, S_K$.
- number of candidates appearing in each shift be denoted by $N_1, N_2, \dots, N_K$.
- X_{ij} be the actual/proportionate marks of candidate (i) in shift (j), where, i can vary from 1 to N_j and j can vary from 1 to K.
- P_{ij} be the percentile score of candidate X_{ij} , where, i can vary from 1 to N_j and j can vary from 1 to K.

एक से अधिक पालियों में आयोजित परीक्षाओं या एक पॉली में एक से अधिक विषय हेतु Percentile score को एकजाई कर परीक्षा परिणाम/मेरिट लिस्ट बनाया जा सकेगा।

(b) बहु चरणीय (Multi-stage) परीक्षा हेतु निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा :-

A.1 In cases where MP-ESB conducts examinations in 2 phases/stages, where the first is through the competitive examination followed by a Physical or Personal Interview/Examination, it is not appropriate to add the proportionate score or the percentile score of the first phase with the scores received in the second phase/ stage. In this scenario, MP-ESB will adopt the following methodology.

A.2 Step 1: Compute the percentile score P_{ij} of the proportionate score obtained by the candidates as described at (a) above.

A.3 Step 2: Compute the equivalent z-value for the percentile score using the Standard Normal Distribution

$$Z_{ij} = \text{ROUND}(\text{NORMSINV}(\frac{P_{ij}}{100} - 0.005), 6)$$

where,

- Z_{ij} = Z -value score of ith candidate & jth shift

A.4 Step 3: Compute the corresponding T-score value for each candidate using the following formula:

$$T_{ij} = AM + ASD \times (Z_{ij})$$

where, T_{ij} = T-score of ith candidate & jth shift where,

AM = Assumed Mean = (Maximum Marks of the paper)/2

ASD = Assumed Standard Deviation = (Maximum Marks)/10

A.5 Step 4: Compute the Final Score Obtained for each candidate by adding the T-score (T_{ij}) with the score obtained in the Physical/Personal test and the Final Score so obtained may be used for preparing the Merit List and inter-se position.

- For tie-breaking situations, at the first level, will be based on the proportionate marks obtained by the candidate in the examination, followed by the existing practise of MP-ESB.
- The proportionate score, percentile score, Z-value & T-score will be computed by rounding off to six places of decimal for single stage & multistage examination. The qualifying marks for any category (UR, SC/ST/OBC, PwD etc) will be based on Proportionate Scores obtained by candidate.

उपरोक्त सूत्रों के अनुसार एक चरणीय एवं बहुचरणीय परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम/मेरिट लिस्ट तैयार किये जायेंगे।

3-9 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :-

- (i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ इस हेतु ई.एस.बी. वेबसाईट पर ऑनलाईन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है। लिंक अपलोड होने के पश्चात तीन दिवस तक ही ऑनलाईन आपत्तियाँ ली जा सकेंगी। उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जावेगी। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न पर एक बार आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। एक बार आपत्ति दर्ज होने पर उस प्रश्न को विषय-विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत रूप से परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा। अतः उन प्रश्नों पर एक बार आपत्ति दर्ज होने के उपरांत पुनः आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रति प्रश्न/उत्तर पर आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा राशि 150/- (एक सौ पचास) + अन्य चार्ज/शुल्क देय होगा। मण्डल को प्राप्त भौतिक अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

- (ii) बिन्दु क्रमांक 3.8 अ अनुसार ई.एस.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम ‘ ‘की’ ’ (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी ।
- (iii) अंतिम उत्तर के संबंध में विषय विशेषज्ञों (कुंजी समिति) द्वारा लिया गया अंतिम होगा।

3-10 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) अनुचित साधन (Unfair means)@ यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

- 1- परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, कैल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा /Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रॉनिक घड़ी एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा ।
- 2- परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना ।
- 3- प्रतिबंधित सामग्री पाये जानेपर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा ।
- 4 नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना ।
- 5-सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना ।
- 6- सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना ।
- 7- परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना ।
- 8- परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करना ।
- 9- ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है ।

10. परीक्षा परिणाम जारी करने के पूर्व मण्डल द्वारा किये गए डेटा विशलेक्षण में असामान्यता परिलक्षित होती है, तो संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध यू.एफ.एम./वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा ।

11- उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।

12. परीक्षा उपरांत, परीक्षा संबंधी डाटा का सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर आवेदको की गतिविधि असामान्य परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी को यू.एफ.एम. श्रेणी में मान्य कर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जायेगी ।

यू.एफ.एम प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे । उपरोक्त मेंसे किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी ।

(ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1- अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधिके अनुसार अपराध है । ऐसे में अभ्यर्थी में विरुद्ध यू.एफ.एम.प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी । ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

2- विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग उक्त अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर ई.एस.बी. को अवगत कराया जायेगा ।

ई.एस.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है ।

3.11 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

(i) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर ई.एस.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

(ii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

(iii) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाएँ भी ई.एस.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाएंगी ।

3.12 परीक्षा परिणाम :-

(i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम ई.एस.बी. की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

3.13 म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार ई.एस.बी. का होगा।

(ii) ई.एस.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं ई.एस.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में ई.एस.बी. परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा ।

(iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख ई.एस.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित नियम अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

3.14 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

3.15 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा:-

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा ।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं/दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा ।
- (v) ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा ।
- (vi) संविदा कर्मचारी हेतु स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र, प्राथमिकता के आधार पर बोनस संबंधि प्रमाण पत्र (यथा एन.सी.सी. प्रमाण पत्र व अन्य) इत्यादि को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा ।
- (vii) आवेदन पत्र में आवेदक को अपनी हस्तलिपि में निम्नलिखित text लिख कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

''मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती हैं।''

3.16 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा । जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

- (iii) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (iv) उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (v) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
- (vi) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (ix) मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो-हस्ताक्षर - हस्तलिपि होने पर आवेदन-पत्र अमान्य किये जायेंगे।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

3.17 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारीयों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

- (i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये।
- (ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iii) फार्म भरने के उपरान्त आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारीयों भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (iv) अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिखित आवेदन पर ई.एस.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

- (v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

3.18 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (v) आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक /आधार V ID अनिवार्यतः अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है। इसके उपयोग से
1. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा।
 2. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा।
- (vi) पहचान पत्र के मीनू में ई.एस.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया।

3.19 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारीयों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3.20 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारीयों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3.21 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

3.22 निर्धारित समयावधी में भुगतान नहीं किये गये आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे। साथ ही ऑफलाईन आवेदन अथवा परीक्षा शुल्क भी मान्य नहीं किये जायेंगे।

3.23 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-
- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
- (ii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

- (iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से करना होगा।
- (iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस./दिव्यांगजन का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस./दिव्यांगजन के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- (v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस./दिव्यांगजन श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- (vi) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (viii) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर ई.एस.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये ई.एस.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।
- (ix) ऐसे आवेदक जिन्होंने निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र भर लिये हैं लेकिन भुगतान नहीं किया है, वे संशोधन अवधि में संशोधन शुल्क सहित भुगतान कर सकेंगे।

3.24 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण ई.एस.बी.स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में ई.एस.बी. द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

- 3.25 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।
- 3.26 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।
- 3.27 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।
- 3.28 पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन
म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।
- 3.29 बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया : -
- (i) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्रमांक 796/982/ 2012/आप्र/एक दिनांक 26.06.2012 के पालन स्वरूप मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरुद्ध अपने आवेदन पत्र, आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को प्रेषित करेंगे। आवेदक द्वारा मण्डल को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा।
 - (ii) संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा की तिथि के पूर्व बैगा, सहारिया एवं भारिया अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इस कारण से विभाग के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो संशोधित पदों की आरक्षण तालिका मण्डल को उपलब्ध कराई जायेगी।
 - (iii) मण्डल द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन जारी किया जायेगा जो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी।

- (iv) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को इस संवर्ग के शेष पदों हेतु परीक्षा में बैठने का विकल्प विद्यमान रहेगा।
- (v) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित सभी पदों की पूर्ति यदि बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों से ही हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प विद्यमान रहेगा।
- (vi) तदुपरांत मण्डल द्वारा अन्य श्रेणियों के पदों तथा अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vii) नियत अंतिम तारीख के पश्चात् बैगा, सहारिया/सहारिया एवं भारिया अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माने जाएंगे।

3.30 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत ई.एस.बी. की E-mail ID “complaint.esb@mp.gov.in” पर भेज सकते हैं।

3.31 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
28.02.2026	14.03.2026	15	28.02.2026	19.03.2026	20

3.32 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्र.	परीक्षा का नाम	पाली	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक (कार्यपालिक) एवं जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक (कार्यपालिक) पदों की सीधी भर्ती परीक्षा-2026	प्रथम द्वितीय	07.04.2026 से प्रारंभ	02 घंटे	प्रातः 10:00 से 12:00 तक दोपहर 03:00 से 05:00 तक	100 100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से काला करना होगा।

3.33 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ई.डब्ल्यू.एस. अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये
01.	एक	500/- प्रति प्रश्न पत्र	250/- प्रति प्रश्न पत्र	250/- प्रति प्रश्न पत्र	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60/- कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 20/-	निरंक

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	40/-

3.34 परीक्षा शहर :-

आवेदक को आवेदन पत्र भरते समय चार परीक्षा शहर की प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना आवश्यक है। बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के प्राथमिकता में अंकित किये गए शहरों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर Random प्रकार से परीक्षा केंद्र आवंटित किये जाने का प्रयास किया जावेगा। तथापि परीक्षा शहर एवं परीक्षा केंद्र की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। बोर्ड अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है एवं उक्त सम्बन्ध में पी ई बी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। परीक्षा केंद्र परिवर्तन के सम्बन्ध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होगा। लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र					
भोपाल	इन्दौर	जबलपुर	खण्डवा	नीमच	रतलाम
रीवा	सागर	सतना	सीधी	उज्जैन	अनूपपुर

पाठ्यक्रम

वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक एवं जेल प्रहरी के पदों हेतु पाठ्यक्रम
(परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र रहेगा)

प्रश्न पत्र का विवरण

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

कुल अंक 100

भाग-1	सामान्य ज्ञान	100 अंक
भाग-2	सामान्य हिन्दी	
भाग-3	सामान्य अंग्रेजी	
भाग-4	सामान्य गणित	
भाग-5	सामान्य विज्ञान	

नोट:- माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की 10+2 प्रणाली के अंतर्गत **हाईस्कूल परीक्षा** (कक्षा दसवी) स्तर का पाठ्यक्रम होगा ।

मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के अंतर्गत **सहायक जेल अधीक्षक** के सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु

पाठ्यक्रम

प्रथम चरण - लिखित परीक्षा :-

म.प्र.कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न 100 अंको के (प्रत्येक प्रश्न 01 अंक) समयावधि 2.00 घंटे का केवल एक प्रश्न-पत्र होगा जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान के स्नातक स्तर के प्रश्न सम्मिलित होंगे ।

भुगतान प्राप्त करने के लिये स्वयं के बैंक खाते का विवरण (यात्रा देयक)

1. परीक्षा का नाम :
2. परीक्षा की तिथि/पॉली/समय :
3. परीक्षा केन्द्र का नाम :
4. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) :
(जैसा बैंक खाते में है)
5. परीक्षार्थी का नाम (अंग्रेजी में) :
6. परीक्षार्थी का रोल न. :
7. बैंक का नाम :
8. बैंक शाखा का नाम :
9. बैंक का IFS Code :
10. बैंक खाता क्रमांक :
11. परीक्षार्थी गृह जिला :
12. गृह जिले से परीक्षा केन्द्र की दूरी :
13. यात्रा का प्रकार :
14. यात्रा व्यय की राशि :
15. पत्र व्यवहार का पता :
16. ई-मेल :
17. फोन न. :

संलग्न :-

1. बैंक पास बुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति (प्रथम पृष्ठ) ।
2. यात्रा के दौरान उपयोग किये गए टिकिट (मूल प्रति) ।
3. जाति/ दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
4. टीएसी के प्रथम भाग की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

निवास का पूर्ण पता

.....
.....

प्रति,

.....
.....

मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे:-बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप (केवल वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक हेतु)

परीक्षा का नाम:- वन रक्षक,क्षेत्र रक्षक एवं जेल प्रहरी पदों की भर्ती परीक्षा-2026

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. माता का नाम :-
4. लिंग (पुरुष/महिला):-
5. जन्मतिथि :-
6. आदिम जनजाति का नाम :-
7. वर्ग (विकलांग/भूतपूर्व सैनिक) :-
8. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :-
9. कार्यअनुभव का विवरण :-
10. विशेष/अन्य विवरण :-
11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन नम्बर:-
12. आवेदन प्रस्तुत करने वाले विभाग का नाम:-
13. पदों के लिये विभागों के चयन का विकल्प(नियम पुस्तिका के अध्याय-02 अनुसार) :-

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ संलग्न करे

स.क्र.	विभाग का नाम	पदनाम
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

* पृथक-पृथक विभागों के पदों के लिए पृथक-पृथक संबंधित विभाग को आवेदन किया जाना होगा।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर :-.....

दिनांक :-

निवास का पता :-

मोबाईल/दूरभाष नं. :-

होमगार्ड स्वयं सेवी नगर सैनिक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप
(म.प्र.शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-2(अ)88/2012/
बी-4/दो दिनांक 13 अप्रैल 2016 से जारी होमगार्डस् नियम 2016 अनुसार)

**नामांकन प्रमाण पत्र
(नियम 14 (क))**

1. आवेदक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. श्रेणी
4. निवास स्थान का पता

.....
को मध्यप्रदेश होमगार्ड अधिनियम, 1947 (1947 का 15वां) की धारा 6 की उपधारा (3) के अंतर्गत होमगार्ड का अधिकारी/सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है। विधि अनुसार कर्तव्य पर होने के दौरान, उसे पुलिस बल का सदस्य माना जायेगा और उसे वहीं शक्तियां, संरक्षण तथा विशेषाधिकार होंगे और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन नियुक्त किए गये किसी पुलिस अधिकारी के दायित्वों के अधीन होगा।

नामांकन की तारीख.....

वैद्यता: दिनांक से दिनांक.....तक

स्थान.....

तारीख.....

नियुक्तकर्ता प्राधिकारी

.....